BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVI | 31st October 2015 | No. 16

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर द्वारा ''स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुन्दर पटना'' योजना का शुभारंभ

चैम्बर द्वारा निर्मित कूड़ा घर एवं फूटपाथ के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा लोकार्पण

चैम्बर द्वारा निर्मित उद्यान का लोकार्पण के दौरान पौधारोपण के पश्चात् पौधों को सींचित करते श्री आनन्द किशोर, आयुक्त पटना प्रमण्डल। उनकी बाँयीं ओर श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष, श्री शशिमोहन, महामंत्री। दाँयी ओर गमले में मिट्टी डालते श्री पी० के० दास, एस०पी० ट्रैफिक, डॉ० रमेश गाँधी, कोषाध्यक्ष, श्री शिर्षत कपिल अशोक, अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व महामंत्री एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सामने चैम्बर द्वारा पुनर्निर्मित कूड़ा घर एवं फूटपाथ के सौन्दर्यीकृत उद्यान का लोकापर्ण दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 को श्री आनन्द किशोर, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना द्वारा किया गया। इस अवसर पर पटना नगर निगम के अपर नगर आयुक्त श्री शीर्षत कपिल अशोक एवं श्री पी० के० दास ट्रैफिक एस०पी० भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने अपने संबोधन में कहा कि समाहरणालय, चैम्बर परिसर, वाणिज्य-कर कार्यालय और रेल विभाग के परिसर रहने के बाबजूद लम्बे समय से इस जगह पर गंदगी पसरी रहती थी। सूअर विचरण करते थे, लोग नाक पर रूमाल रख कर इस गंदगी को पार करते थे। चैम्बर की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो रही थी। चैम्बर ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ''स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुन्दर पटना'' को ध्यान में रखते हुए इस स्थान के सौन्दर्यीकरण एवं कूड़ा घर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। पटना नगर निगम से उस स्थान को चैम्बर के नाम पर आवंटित करने का अनुरोध किया। पटना नगर निगम ने वह स्थान चैम्बर को आवंटित किया। इसके लिए हम अपर नगर आयुक्त श्री शीर्षत कपिल अशोक जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री पी० के० दास, एस०पी० ट्रैफिक के भी हम आभारी हैं जिन्होंने इस स्थान के सौन्दर्यीकरण की नेक सलाह दी थी। इस स्थान के स्वच्छ एवं सुन्दर होने का फायदा आम लोगों के साथ-साथ छठ ब्रतियों को भी होगा। इस कार्य को पूरा करने में महामंत्री श्री शशि मोहन जी एवं पूर्व कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन जी का पूर्ण सहयोग रहा, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ।

प्रमण्डलीय आयुक्त श्री आनन्द किशोर ने चैम्बर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह आदर्श प्रयास है। चैम्बर का यह कदम प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। पहले की जो तस्वीर मैने देखी - जहाँ सूअर लोटते रहते थे, गंदगी का अम्बार लगा रहता था, नारकीय स्थिति थी। लेकिन चैम्बर के सद्प्रयास से इस स्थल के सौन्दर्यीकृत होने से स्वरूप ही बदल गया। इस अच्छे कार्य के लिए मैं श्री ओ० पी० साह जी

अध्यक्ष की कलम से......

प्रिय बन्धुओं,

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य में विधान सभा का चुनाव हो रहा है और जबतक बुलेटिन का यह अंक आपके हाथों में होगा तब तक चौथे चरण का मतदान सम्पन्न हो चुका होगा तथा करीब दो-तिहाई मतदाताओं द्वारा अपने प्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला किया जा चुका होगा।

ऐसी उम्मीद है कि आने वाली नई सरकार तीव्र गति से राज्य का विकास करेगी फलस्वरूप राज्य में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की गति और तेज होगी और बिहार अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने में सक्षम होगा।

चैम्बर की कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार चैम्बर बुलेटिन का प्रकाशन मासिक कर दिया गया है। इस बुलेटिन का कलेवर और इसमें प्रकाशित सामग्री आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों से चैम्बर को अवगत करायें ताकि इसमें और सुधार किया जा सके।

आप सभी बन्धुओं को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

आपका
ओ. पी. साह
अध्यक्ष

को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को इस तरह के अन्य स्थानों को चिन्हित कर सुन्दर एवं स्वच्छ बनाने की सलाह दी। प्रमंडलीय आयुक्त ने आगे कहा कि व्यवसायियों की और भी जो समस्याएँ हैं उन्हें दूर करने के लिए अलग से बैठक किया जायेगा। उन्होंने नवम्बर के प्रथम सप्ताह में

नव-निर्मित उद्यान का एक दृश्य

नव-निर्मित उद्यान में रंगीन रौशनी में सुन्दरता बिखेरता पानी का फव्वारा।

आम समस्याओं पर चैम्बर के साथ विचार-विमर्श हेतु अपनी सहमति भी प्रदान की।

अपर निगमायुक्त श्री शीर्षत कपिल अशोक ने अपने संबोधन में कहा कि चैम्बर द्वारा सौन्दर्यीकृत यह स्थल पटना के लिए एक रोल मॉडल होगा। यहाँ का पार्क देखकर मुझे काफी खुशी हुई है। मैने सोचा भी नहीं था कि यह काम इतना अच्छा और प्रशंसनीय होगा। पटना नगर निगम और चैम्बर के बीच इधर कई बार बैठक हुई है जिसमें चैम्बर द्वारा काफी अच्छे सुझाव मिले हैं, जिस पर

श्री आनन्द किशोर, आयुक्त, पटना प्रमण्डल को उद्यान स्थल की पूर्व की स्थिति एवं वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराते श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज।

श्री आनन्द किशोर, आयुक्त, पटना प्रमण्डल एवं श्री शिर्षत कपिल अशोक, अपर नगर आयुक्त को कूड़ा घर के बारे में जानकारी देते श्री शशिमोहन, महामंत्री। साथ में श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष। उनकी बाँयीं ओर क्रमश: श्री आनन्द किशोर, आयुक्त, पटना प्रमण्डल, श्री शिर्षत कपिल अशोक, अपर नगर आयुक्त, श्री पी० के० दास, एस०पी० ट्रैफिक, श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, उपाध्यक्ष। दाँयीं ओर श्री शशि मोहन, महामंत्री एवं डॉ० रमेश गाँधी, कोषाध्यक्ष एवं अन्य।

अमल करने में पटना नगर निगम को भी सुविधा हुई है। पूर्व के बैठकों की कई बिन्दुओं पर कार्य हो चुके हैं, और कुछ पर अभी काम होना शेष है। शहर में 123 कूड़ा केन्द्र हैं जिसमें यह स्थल भी जुड़ गया है। इस स्थल का समयानुसार कूड़ा उठाव होगा। लापरवाही या शिकायत मिलने पर अधिकारी नपेंगे।

उन्होंने बताया कि सफाई योजना हेतु 10 जे०सी०वी०, 12 बॉब कैट, 19 कंटेनर समेत अन्य उपकरण खरीदे गये हैं और कुछ उपकरणों के खरीद की प्रक्रिया चल रही है।

ट्रैफिक एस०पी० श्री पी० के० दास ने इस अवसर पर कहा कि इस सौन्दर्यीकृत स्थल को देखकर दिल खुश हो गया। मेरे स्तर से जो भी सपोर्ट चैम्बर को चाहिए, मिलेगा। इस जगह पर पर्किंग स्थल का मार्किंग किया जायेगा। इस जगह पर गलत ढंग से पार्किंग हुई तो चालान काटा जायेगा। मैं व्यक्तिगत स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करता रहूँगा।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं श्री मोतीलाल खेतान, चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन सहित चैम्बर के सदस्य तथा प्रेस एवं मीडिया के बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

अपने धन्यवाद ज्ञापन में महामंत्री श्री शशि मोहन ने कहा कि पटना प्रमंडल के आयुक्त महोदय का मैं आभारी हूँ जिन्होंने काफी उत्साह के साथ इस सौन्दर्यीकृत स्थल के लोकापर्ण की सहमति प्रदान की। इतने बड़े अधिकारी के प्रशंसा से हम काफी गौरवान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में यह कार्य हुआ है, हम तो सिर्फ उनके दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने अपर नगर आयुक्त श्री शीर्षत कपिल अशोक एवं ट्रैफिक एस०पी० श्री पी० के० दास का भी आभार व्यक्त किया जो इस सौन्दर्यीकरण के प्रेरणा के श्रोत रहे है।

विश्व दृष्टि दिवस की पूर्व संध्या पर चैम्बर द्वारा नि:शुल्क आँख जाँच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

शिविर में आँखों की जाँच करते नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ० शशि मोहनका। उनके पीछे श्री शशि मोहन, महामंत्री, श्री मुकेश जैन, चेयरमैन, कौशल विकास उप समिति, श्री सुबोध जैन, पूर्व कोषाध्यक्ष, श्री एम० पी० जैन एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा विश्व दृष्टि दिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को चैम्बर प्रांगण में नि:शुल्क आँख जाँच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस का थीम है -''आँखों की देखभाल सबों के लिए''। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना है कि वे अपनी आँखों के महत्व को समझें एवं उसकी सुरक्षा के लिए ससमय उचित उपाय करें जिससे कि आँखों की वैसी बीमारी जो ठीक हो सकती है, उसका समय पर इलाज कराकर अंधापन से बचाया जा सके। श्री साह ने अपने संदेश में कहा कि आँख मनुष्य के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेन्द्री है अत: इसकी अत्यधिक देखभाल होनी चाहिए।

इस अवसर पर चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन ने बताया कि दुनिया में हर पांच सेकेन्ड में एक व्यक्ति को दृष्टि दोष हो जाता है, जबकि 89 प्रतिशत बच्चों में दृष्टि दोष 5 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है। 90 प्रतिशत दृष्टिहीन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। आँखों का महत्व समझकर ही हम सभी इसकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग ही हैं जो दूसरों के नेत्र के बारे में सोच पाते हैं। आँखें जिंदगी भर हमारी जिंदगी रोशन करती है और मरने के बाद भी औरों का अंधेरा दूर कर सकती है।

इस अवसर पर बिलास नेत्रलय के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ० शशि मोहनका ने बताया कि दुनिया भर में लगभग 285 मिलियन लोग कम दृष्टि और अंधेपन के साथ रहते हैं तथा इनमें से 39 लाख लोग नेत्रहीन हैं और 246 मिलियन को कम या गंभीर दृष्टि दोष है, इनमें से पाँच में से चार लोगों का दृष्टि दोष रोका जा सकता है। दुनिया के पूरे नेत्रहीनों में 65प्रतिशत नेत्रहीन 50 साल या उससे अधिक उम्र के लोग हैं जबकि इस आयु वर्ग के लोग पूरी आबादी का केवल 20प्रतिशत है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समय पर उचित इलाज कराएं। इस अवसर पर लगभग 150 से अधिक महिलाओं एवं पुरुषों की आँखों की जाँच की गई। इस अवसर पर डॉ मोहनका के अतिरिक्त डॉ० अमर कुमार सिंह, डॉ० ओम कुमार, डॉ० नीतीश कुमार निराला एवं श्री रीतेश कुमार सिन्हा उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की को- ऑर्डिनेटर डॉ० गीता जैन, चैम्बर के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, उप सचिव श्री ए० के० दूबे एवं श्री आर० प्रसाद तथा सुश्री माधवी सेन गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी तथा कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की प्रशिक्षिका ममता सिन्हा एवं दुर्गा बनर्जी की मुख्य भूमिका रही। अन्त में धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के कौशल विकास उप-समिति के चेयरमैन श्री मुकेश कुमार जैन ने किया। उन्होंने लोगों से आँखों के प्रति अति संवेदनशील रहने का अनुरोध भी किया।

हाजीपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन

स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन करते श्री सुजीत गुहा, महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (दाँये से प्रथम) एवं श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज। साथ में स्टेट बैंक के अधिकारीगण एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप हाजीपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया में दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का शुभारम्भ हुआ।

इस शाखा का उद्घाटन भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री सुजीत गुहा जी ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के साथ किया।

श्री अग्रवाल ने हाजीपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया में शाखा खोलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को धन्यवाद दिया और कहा कि इस शाखा के खुलने से चैम्बर के लम्बित मांग की पूर्त्ति हुई है। इस शाखा से यहाँ के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को काफी सुविधा होगी।

दवा के एमआरपी पर वैट वसूलना गैरकानूनी

वाणिज्यकर विभाग को हाईकोर्ट के फैसले से झटका लगा है। कोर्ट ने दवा के अधिकतम खुदरा मुल्य पर वैट वसूलने को गैरकानूनी करार दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि वैट के नियम के तहत सेल प्वाइंट पर टैक्स लगाने का नियम है। बिहार टैक्सेसन बार एसोसिएशन के संजय पांडेय ने बताया वाणिज्यकर विभाग दवा और फर्टिलाइजर कंपनी या सीएनएफ से अधिकतम खुदरा मूल्य पर वैट वसूल रहा था। टैक्स नहीं देने वाली कुछ कंपनियों और सीएनएफ पर विभाग ने पेनाल्टी भी लगाई थी। कंपनियों ने इसके विरोध में हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में अपना फैसला दिया। **(साभार : दैनिक भास्कर, 7.10.2015)**

स्वच्छता के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगेगा नया टैक्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए डीजल-पेट्रोल समेत कई वस्तुओं पर नया टैक्स लग सकता है। यह टैक्स सेस (अतिरिक्त कर) के रूप में लिया जाएगा।

स्वच्छता अभियान को लेकर बने मुख्यमंत्रियों के एक उप समूह ने अपनी रिपोर्ट में सैस लगाने की सिफारिश की है। सुझावों में पेट्रोल और डीजल और गैस जैसे पेट्रोलियम पदार्थों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात शामिल है। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेस, माइन्स व कोल आदि पर भी अतिरक्त कर लगाने की सिफारिश की गई है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 15.10.2015)**

GST पर उद्योग जगत से मांगी राय

- सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने की बनाई है योजना
- ई-कॉमर्स, बैकिंग समेत पांच क्षेत्रों में आपूर्ति स्थान के नियम संबंधी प्रावधानों को मजबूत करने के लिए मांगी राय

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उद्योग जगत से ई-कॉमर्स और बैंकिंग समेत पांच क्षेत्रों में आपूर्ति स्थान के नियम संबंधी प्रावधानों को मजबूत करने के लिए राय मांगी है, जिससे गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को आसानी से लागू किया जा सके।

केंद्र लगाएगा सर्विस टैक्स : एक गवर्नमेंट ऑफिसर के मुताबिक, मिनिस्ट्री ने उद्योग संगठनों से बदलाव के दौर के प्रावधानों और नई इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का आसानी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विचार सौंपने के लिए कहा है। जीएसटी गंतव्य आधारित शुल्क है और यह टैक्स गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई स्थान पर लगाया जाना है। फिलहाल, ऐसी सेवाओं के मामले में जीएसटी लगाने के विचार पर मतभेद है, जिसकी सप्लाई विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर की जानी है। मौजूदा सिस्टम में सर्विस टैक्स केंद्र लगाएगा। इसलिए इसके संग्रह पर कोई विवाद नहीं है।

बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म : अधिकारी ने कहा, 'हम चाहते हैं कि उद्योग इसमें भागीदार बनें। यह पूछने के बजाय जीएसटी कब लागू होगा, उद्योग को ऐसे मुद्दों पर सुझाव देना चाहिए जिससे जीएसटी को सुगमता से पेश करने के मामले में दिक्कत आ सकती है। 'जीएसटी हर तरह के उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, चुंगी आदि की जगह लेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पूरे देश में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हो। सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने की योजना बनाई है। इसे आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म करार दिया जा रहा है, लेकिन अभी इसमें अड़चनें दिख रही हैं क्योंकि इससे जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में अटका है।

नवम्बर से होगा सार्वजनिक : फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी ओर से जीएसटी पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिससे जरूरी विधेयकों के पारित होने की स्थिति में इसे लागू किया जा सके। केंद्र और राज्यों ने जीएसटी कानून, एकीकृत जीएसटी या आईजीएसटी कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसे नवम्बर की शुरूआत में सार्वजनिक किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति जल्द ही विधेयकों सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पर चर्चा के लिए बैठक करेगी।

सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) आदर्श जीएसटी कानून पर आधारित है। साथ ही राज्य आदर्श कानून के मसौदे के आधार पर स्टेट वाइज छूट के आधार पर मामूली फेरबदल के आधार पर राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का मसौदा तैयार करेंगे। **(साभार : आई नेक्स्ट, 19.10.2015)**

केंद्र ने जीएसटी विधेयक का प्रारूप राज्यों को भेजा

- जीएसटी और एकीकृत जीएसटी का मसौदा तैयार
- नवम्बर की शुरुआत में सार्वजनिक किया जाएगा खाका

केंद्र और राज्यों ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) कानून और एकीकृत-जीएसटी (आईजीएसटी) कानून का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे नवम्बर की शुरूआत में सार्वजनिक किया जाएगा।

एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक इस महीने होनी है, जिसमें इन विधेयकों- सीजीएसटी (केन्द्रीय जीएसटी), एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) और आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी)- के विधेयकों के मसोदे पर चर्चा होनी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएसटी कानून और आईजीएसटी कानून का प्रारूप राज्यों के पास भेजा जा चुका है। अधिकार प्राप्त समिति जल्दी ही उन पर चर्चा करेगी।

केन्द्रीय जीएसटी मॉडल जीएसटी विधेयक के प्रारूप पर आधारित होगा। साथ ही सभी राज्य एसजीएसटी के मॉडल के आधार पर अपने एसजीएसटी के मसौदे तैयार करेंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.10.2015)**

CENTRE, STATES WANT EASY GST SCHEME FOR SMALL TRADERS

Traders above a specified annual turnover will need a unique identification number to collect GST from consumers, says the report

Traders and business above a specified annual turnover will have to get a unique identification number for collecting goods and services tax (GST) from consumers, while those with lesser

annual sales can get a GST registration voluntarily if they want to seek credit for the taxes previously paid, according to a report on GST business process released by the government for public comments.

The report on GST registration prepared by Union and state officials has also proposed a compounding scheme, for small traders who are marginally above the turnover threshold for registration. They will be allowed to pay tax: at a rate lower than the standard rate of GST on their annual turnover, but will not get any credit for the taxes previously paid. Traders with interstate transactions will have to compulsorily obtain GST registration even if their turnover is below the specified threshold, says the report.

Although the report does not specify the turnover threshold for registration, officials have tentatively kept it at Rs. 10 lakh. Those in the Rs. 10- 50 lakh turnover range will be eligible for the lower than the standard GST rate under the compounding scheme, under the consensus among Union and state government officials.

The finance ministry also released two other reports on GST payment and GST refunds for -public comments.

While the Modi government could not muster political support for getting the Constitution, (122nd Amendment) Bill passed in Rajya Sabha, where it is a minority, it is going ahead with the administrative and legislative work needed for the indirect tax reform.

Although the government may miss the April 2016 deadline for rolling out GST, it is hoping it could implement the tax reform some time in the middle of next financial year.

Finmin seeks industry views : With preparations for the next Union Budget picking up pace, the finance ministry has invited suggestions from trade and industry for changes in tax rates and broadening of base, reports PTI.

"You may like to send your suggestions for changes in the duty structure, rates and broadening of tax base on both direct and indirect taxes giving economic justification for the same," it said in a communication to the trade and industry bodies.

(Source : Fin. Exp., 12.10.2015)

11 तक पान मसाला व जर्दा पर प्रतिबंध

प्रदेश में पान मसाला व सुगंधित तम्बाकू पर प्रतिबंध अब 11 नवम्बर तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी है। बताते चलें कि पान मसाला व जर्दा पर प्रतिबंध मामले में पटना हाईकोर्ट के स्टे आर्डर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय होने तक हाईकोर्ट के स्टे आर्डर पर रोक लगाते हुए प्रतिबंध जारी रखने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट में भी पान मसाला व जर्दा प्रतिबध पर सुनवाई प्रस्तावित थी। बताते चलें कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए हाईकोर्ट ने खाद्य संरक्षा विभाग से याचिका दाखिल करने को कहा है।

(साभार : दैनिक जागरण, 14.10.2015)

अब छुट्टा सिगरेट नहीं बिकेगा, इ-सिगरेट बैन

बिहार में छुट्टा सिगरेट नहीं बिकेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जायेगा। इससे संबंधित निर्णय स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार की हुई बैठक में लिया गया। प्रधान सचिव ने कहा कि अब बिहार में डिब्बा बंद सिगरेट ही मिलेगा। इसके अलावा दुकानों में छुट्टा सिगरेट बेचने वालों पर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही हुक्का बार चलाने वाले होटलों का लाइसेंस रद्द होगा। विभाग की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी की जायेगी। उसी दिन से इसे लागू माना जायेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 10.10.2015)

सरकार ने उद्योग से मांगी 5 प्रमुख कर मामलों की जानकारी

आयकर विभाग ने उद्योग जगत को पत्र लिख कर पाँच प्रमुख कर विवादों की जानकारी मांगी है। बाद में विभाग उन मामलों में अनौपचारिक तौर पर अपनी राय देगा ताकि भविष्य में मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

उद्योग की ओर से भेजे गए मामलों पर विभाग की राय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख से लेकर आकलन अधिकारी तक सभी को मान्य होगी। यह अपने प्रकार का पहला मामला है जब सरकार विवादास्पद कर मुद्दों को निपटाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करने की पहल खुद कर रही है।

बिजनेस स्टैंडर्ड की ओर से भेजे गए ईमेल के जवाब में सीबीडीटी की चेयरपर्सन अनीता कपूर ने कहा, 'हमने उद्योग संगठनों से कहा है (कि पाँच प्रमुख कर मुद्दों की जानकारी भेजें जिन पर वे स्पष्टीकरण चाहते हैं)।' उन्होंने कहा कि देश की कराधान प्रणाली में पारदर्शिता और पहले से जानकारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमने यह पहल की है।

अगले बजट के लिए कर नीति संबंधी नए विचार आमंत्रित करने के उद्देश्य से राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने पिछले महीने उद्योग संगठन सीआईआई और फिक्की के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा था कि सरकार की मंशा और कानून के मौखिक विश्लेषण में काफी अंतर दिखता है। उन्होंने कहा कि उचित स्पष्टीकरण और संशोधन के जरिये इस प्रकार के अंतर को पाटने की जरूरत है।

इस मामले से अवगत एक गुप्त सूत्र ने कहा, 'हम विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से जुड़े विवाद जैसी समस्याओं के बार-बार आने से बचना चाहते हैं।' मैट पर सरकार के रुख को लेकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) काफी परेशान हैं।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 14.10.2015)

इलाज के खर्च पर आयकर छूट लेना हुआ आसान

निजी अस्पतालों में काम करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक के प्रमाण-पत्र पर भी इलाज के खर्च पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकेगा। सरकार ने इसके लिए सरकारी अस्पताल से प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। आयकर विभाग ने जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी है। इससे इलाज पर आए खर्च के लिए आयकर छूट का दावा करना आसान हो गया है। सीबीडीटी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नियम-11 डीडी को संशोधित कर निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों से कराए गए इलाज और प्रमाण-पत्र के आधार पर भी आयकर में छूट मिलेगी। सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सक की अनिवार्यता को हटाते हुए बोर्ड ने उसके स्थान पर भारतीय चिकित्सा महासंघ से मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक कर दिया है। डेमेंशिया, कैंसर और थैलिसीमिया समेत विभिन्न बीमारियों में चिकित्सा बीमा नहीं होने या कार्यालय से प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) नहीं मिलने की स्थिति में छूट के लिए यह दावा किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति, जिसकी उम्र 60 साल से कम है वह 40 हजार रुपये तक का दावा कर सकेगा। जबकि 60 साल से ऊपर और 80 साल से कम उम्र के बुजुर्ग 60 हजार तक का दावा कर सकते हैं।

हालांकि इस दावे की छूट तभी मिलेगी, जबकि किसी चिकित्सकीय बीमा से इस खर्च को हासिल नहीं किया गया हो। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण 2015-16 में मध्यम वर्ग को आयकर में इलाज के लिए छूट मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा था।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.10.2015)

अग्रिम कर भुगतान पर आयकर विभाग का जोर

अपने कर आधार को बढ़ाने के प्रयासों के तहत आयकर विभाग ने कारोबारियों व व्यापारियों से कहा है कि वे वित्त वर्ष के आखिर में सालाना रिटर्न दाखिल करने के बजाय अग्रिम कर का भुगतान करें जिससे उन्हें नए कर निर्धारिती के रूप में तत्काल जोड़ा जा सके। विभाग एक करोड़ नए करदाताओं को अपने दयरे में लाने के लिए महत्वाकांक्षी अभियान चला रहा है। सरकार ने हाल ही में कर अधिकारियों से कहा था कि वह इस लक्ष्य को मौजूदा वित्त वर्ष में ही पूरा करे। राष्ट्रीय राजधानी में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर अधिकारियों से कहा है कि वे तय समयावधि में 5.32 लाख नए निर्धारिती जोड़ें। इसके तहत विभाग उद्योग व व्यापारिक संगठनों के साथ आम जन सत्र 'सीधा संवाद' आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम देशभर में आयोजित किए जा रहे हैं।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12.10.2015)

मोबाइल ऐप से सीमा शुल्क नियमों की जानकारी

लोगों को सभी भारतीय सीमा शुल्क नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल आधारित ऐप शुरू की है। इसके जरिए लोगों को पालतू पशुओं और वस्तुओं के आयात संबंधी नियमों की भी जानकारी मिल सकेगी। यह ऐप्लिकेशन 'कस्टमर ट्रैवलर गाइड-इंडिया' फिलहाल गूगल स्टोर पर उपलब्ध है और इसे जल्द अन्य आपरेटिंग सिस्टम्स पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसे विकसित करने वाले सॉफ्टवेयर पेशेवर नितिन मोहन जौहरी ने कहा, 'इस ऐप को विकसित करने का मकसद आम लोगों को सुगम तरीके से सीमा शुल्क संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना है। यह ऐप लोगों को सीमा शुल्क नियम और नियमनों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा।'

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12.10.2015)

नहीं छपेगी गजट अधिसूचना इंटरनेट पर रहेगी उपलब्ध

अब आपको राजपा अधिसूचना के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि इनकी प्रिंटिंग प्रेस में छपाई बंद कर दी गई है और ये ई राजपा के रूप में इंटरनेट पर उपलब्ध रहेंगी। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की यहाँ जारी विज्ञप्ति के अनुसार गत एक अक्टूबर से राजपा अधिसूचनाओं की प्रिंटिंग प्रेस में छपाई बंद कर इनका ई प्रकाशन शुरू कर दिया गया है। गजट अधिसूचना के माध्यम से विभिन्न कानूनों, अधिनियमों, नियमों, आदेशों और सरकारी निर्णयों को कानूनी वैधता की जाती है। इनके प्रिंटिंग प्रेस में छपने के कारण लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब संबंधित मंत्रालय से जानकारी मिलने के बाद ये अधिसूचना पाँच दिन में डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट ई गजैट डाट एनआईसी डाट इन पर उपलब्ध होगी। इस अधिसूचना का इस वेबसाइट से निशुल्क प्रिंट लिया जा सकेगा और इसके सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। अधिसूचनाओं के ई प्रकाशन से सरकारी खजाने को हर साल 40 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह कदम शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू की पहल पर उठाया गया है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 10.10.2015)

CMS COLLECTION PRODUCTS AT STATE BANK OF INDIA: PROCESS FLOW OF COLLECTIONS

Instrument Collection:-

- Bank Will provide CMP activated Branches list to CLIENT
- Branch Official/Courier/Agency will go to CMP activated SBI branch to deposit the cheque/DD
- Bank will provide centralize credit at clear fund basis and MIS of deposit cheque/DD.
- Centralized Reconciliation Support.

E- Collection:-

COLLECTION THROUGH RTGS/NEFT

- The CLIENT advises its customers to credit the payments into this account with certain additional information which is critical.
- CLIENT allots customers certain unique codes which may be 6 to 8 digits in length. A table containing the client / dealer codes and their respective names is provided by the customer to the SBI CMP also
- A virtual account number is created for each dealer
- Virtual account number to be provided by CLIENT to its customers which they provide to their bankers for credit to the account of CLIENT. Same file Department will send to Bank for upload in the system.
- Customers will use virtual account number for payment. Bank will provide the credit along with MIS
- Currently, the MIS is sent to the CLIENT through an attachment to designated email addresses. The file is sent at regular intervals as per the mutually agreed timings. Flow of information to CLIENT office with remitter details Viz. Customer code, Customer Name, UTR No., Amount etc. At day end, a consolidated file containing all the data sent during the day can be supplied as a measure of assurance that all the messages received during the day have been accounted for.

COLLECTION THROUGH MANDATE FORM

(For Account Holders of All Banks)

- Dealer will submit one time mandate form registration to CLIENT, which Department will send to Bank for process
- CLIENT will send transaction data of Customers along with all information to Bank
- Bank will debit customers accounts and credit designated account of CLIENT. A separate MIS will send to CLIENT

CASH COLLECTION

- Bank will provide agency for collection the cash from the Branches can deposit the cash in CMP activated branches.
- Bank will provide centralized credit and send MIS in designated E-mail id.
- Empanelled agency will provide photo authorization of all custodians (persons carrying cash) with their names and signatures. Pickups will be done only by these custodians. The authorizations will be provided to the distributor points
- The custodians will carry authorized company ID proofs
- The scratch card booklets (customer copies) will be provided to the distributors and custodians will carry the agency scratch card booklets. The numbers will match on both copies for any particular day, only then will the cash be provided by the client to the custodian. These scratch card copies will be exchanged.
- In case cash counting and verification is followed, the cash will be counted, verified and picked up in seal bags and sealed with unique seal tags. The seal number will be mentioned in the exchanged scratch card. The details will be entered in the handheld terminal for real-time MIS pooling and generation.
- In view of the location distances (city limit and beyond limit points), the cash will be vaulted overnight in vault locations of agency
- The deposition will be done on subsequent day in the CMP enabled SBI bank branches
- The seal bag will be opened in the bank under camera surveillance, the cash will be accepted in the CMP code and credit will be given to the client and customer acknowledgment will be provided to the custodian. This shall be returned to the customer on T+1 day
- Daily MIS will be provided to the bank and the client, which will also have the unique dealer codes

Note:

- CL- City limit- any points which are within a distance of 30km both ways (to and fro) are considered to be CL points.
- BCL- Beyond city limit- any points which are more than 30km and within 50km both ways (to and fro) are considered to be BCL points.
- Commercials for any distances beyond BCL points are considered as per the kilometers traveled and overtime charges and extra costs of the custodians.

COLLECTION THROUGH PREUPLOAD POWER JYOTI

- Bank will generate client code after documentation.
- Client will upload the file in the prescribed format through Internet banking in the system.
- Customer of company can deposit the cash and transfer cheques across all SBI branches
- Bank will share MIS in prescribe format.

COLLECTION THROUGH POS

- Bank will install PoS after documentation.
- Customer of the company can pay through credit card and debit card.- Bank will share MIS in prescribed format.

COLLECTION THROUGH STATE BANK COLLCET

- Bank will provide service of "add billers" facility to the company on SBI's website.
- Customer of the company can pay their bill through SBI site through cards and internet banking.

COLLECTION THROUGH MOBILE BANKING

- The Company will be provided with a 7 digit MMID (Mobile Money ID) for their account which will be mapped with a mobile number.

- ***IMPS Merchant Payment*** facility will be used for funds transfer.
- Though the daily limit for remittance to account of The Company is customizable, the limit prescribed by dealer's bank (if not SBI) will be applicable
- Following details are required for fund transfer:
  • 10 digit mobile number of The Company • MMID of The Company • Amount • Reference Number (50 Characters)
- Bank will send MIS as per prescribed format.

PAYMENTS

- **Post Funded MCC**
  - CLIENT will upload excel file through portal facility or host to host facility.
  - Bank will provide A-4 size MCC along with the details as per desire by the company.
  - Facsimile signature facility is available as per guidelines.
- **E-Payment**
  - The company will upload excel file through portal facility or host to host facility. Bank will execute file and upload MIS in the system

CUSTOMISED MIS

- Daily presentation credit / return reports provided to the representative / dealer at the local centre.
- Daily location-wise / product-wise presentation / credit / returns reports provided to the Corporate Office through E-mails.
- Customized weekly / fortnightly / monthly consolidated reports in soft-form, compatible with the clients accounting system, through E-Mail / Floppy i CD-ROM as required, for easier and speedier reconciliation.
- Uncluttered / Pure MIS is our USP since the product is operated entirely through SBI's own network

CMP PRICING AND ARRANGEMENTS

CMS offers you the facility of clearing of local instruments favoring your organization deposited at our various branch locations with pooling of funds at Mumbai or any other location where SBI has got its presence on very competitive terms. CMS eliminates the inherent delays of a traditional funds transfer mechanism. CMS enhances liquidity and ensures optimum planning and utilization of funds. In addition to faster access to funds, CMS provides you with MIS, which will help improve your reconciliation. **The pricing of the product is competitive but volume driven and depends on the location, type of facilities and amount of individual instruments.**

(For details contact Chamber or SBI)

ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश: उद्योग जगत

थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) आधारित मुद्रास्फीति के सितम्बर में शून्य से 4.54 फीसद नीचे रहने के बीच उद्योग जगत ने कहा कि बैंकों द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है आर्थिक सुधारों में सकारात्मक बदलाव 'स्पष्ट' है।

उद्योग मंडलों ने खाद्य उत्पादों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि जरूरी उत्पादों की कीमतें नियंत्रण में रहें।

फिक्की की अध्यक्ष ज्योत्सना सूरी ने कहा-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती के बाद कुछ बैंकों ने अपनी आधार दरें कम की हैं। हालांकि बैंकों द्वारा उधारी दर में और कटौती की गुंजाइश है। दालों, सब्जियों व प्याज के महंगा होने के बीच डब्लूपीआइ आधारित मुद्रास्फीति सितम्बर में मामूली बढ़कर शून्य से नीचे 4.54 फीसद रही।

एसोचैम के अध्यक्ष राणा कपूर ने कहा कि डब्लूपीआइ मुद्रास्फीति व औद्योगिक उत्पादन संबंधी आंकड़े इस बात का संकेत है कि आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव 'अधिक से अधिक स्पष्ट हो रहे हैं।'

(साभार : जनसत्ता, 15.10.2015)

सरकार नए उद्यमियों को कर्ज पर ब्याज में देगी छूट

'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए उद्यमियों को बड़ी रियायत देने के तैयारी कर रही है। नए उद्यमियों को सरकार कारोबार शुरू करने के लिए बैंक से कर्ज लेने पर ब्याज में छूट देगी। इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाए जाने का प्रस्ताव है। सरकार इस माह के अंत तक इसका एलान करेगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई रियायतें देने की तैयारी कर रही है। कोई भी नया व्यक्ति उद्यम शुरू करता है, तो सरकार उद्योग शुरू करने के लिए बैंक कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी देगी। साथ ही नए उद्यमियों के किसी काम का टेंडर डालने पर अनुभव में छूट का प्रावधान होगा।

सरकार नए उद्यमियों को जमाराशि में भी छूट देने की तैयारी कर रही है। इससे सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवा उद्यमी बने। नए उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ताकि, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिल सके। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नए उद्यमियों को दी जाने वाली रियायतों के बदले में सिर्फ वारंटी का समय बढ़ाया जा सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.10.2015)

एमएसएमइ को अधिक ऋण दें बैंक : वर्मा

उद्यमिता, आकांक्षा और अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर को ध्यान मे रख बैकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम(एमएसएमई) क्षेत्र को अधिक ऋण मुहैया कराएं। फर्स्ट जेनेरेशन के उद्यमियों के साथ कारोबार करते समय बैंकरों में ज्ञान और कुशलता से कहीं अधिक सही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। उक्त बाते भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक एम. के. वर्मा ने भागलपुर मिटिंग में कही। रोजगार सृजन में इसका कृषि के बाद स्थान है। लघु उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना ही समझदारी है।

(साभार : दैनिक जागरण, 16.10.2015)

अब सख्त होगी बैंकों की निगरानी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) में काले धन का मामला आने से सरकार व नियामक सकते में हैं। वित्त मंत्रालय ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए सभी बैंकों को सख्त चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि वे अपने-अपने स्तर पर और चौकसी बरतें ताकि बैंक काले धन के लेनदेन का जरिया नहीं बन सके।

मंत्रालय इस बारे में रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के साथ बातचीत कर मौजूदा नियमों को और सख्त बनाने की भी सोच रहा है। ऐसा करने से बैंक शाखाओं के स्तर पर और कड़ी निगरानी हो सकेगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 13.10.2015)

एचडीएफसी के एटीएम से ही मिल जाएगा पर्सनल लोन

नया विकल्प : • एटीएम से आवेदन के बाद मानक पूरा होने पर मिल जाएगा कर्ज • बैंक के अनुसार दुनिया में यह अपनी तरह की पहली पेशकश है

निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने एटीएम से भी कर्ज देने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। फिलहाल यह सुविधा व्यक्तिगत कर्ज (पर्सनल लोन) के लिए शुरू की गई है।

इसके तहत बैंक के सभी उपभोक्ता उसके एटीएम के जरिये कर्ज का आवेदन कर सकेंगे। सभी मानक पूरा होने पर कुछ ही देर में कर्ज प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उपभोक्ता एटीएम से राशि हासिल कर सकेंगे।

एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष और कारोबार प्रमुख (असुरक्षित कर्ज, मोर्गेज और गोल्ड लोन) अरविन्द कपिल ने कहा कि देश के साथ दुनिया में यह अपनी तरह की पहली पेशकश है।

उन्होंने कहा कि आधुनिकतम तकनीक, उच्चस्तरीय आकलन और इनोवेशन की बदौलत इस सुविधा को पेश करने में सफलता हासिल हुई है। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। (साभार : हिन्दुस्तान, 17.10.2015)

आम निवेशकों की पूंजी गंवा रहे छोटे सरकारी बैंक

छोटे सरकारी बैंक के शेयरों में निवेश करना निवेशकों के लिए बेहद जोखिम भरा हो गया है। पिछले एक दशक में छोटे सरकारी बैंकों के शेयरों में निवेश करने वालों को औसतन आठ फीसदी से अधिक नुकसान हुआ है।

आम लोग बचत खाता से लेकर सावधि जमा (एफडी) जैसे निवेश के लिए सरकारी बैंकों को ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन शेयरों में निवेश का गणित इससे अलग है, इसलिए जानकारों का मानना है कि छोटे सरकारी बैंकों के बजाय अग्रणी बैंकों में निवेश ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

10 साल में सालाना औसत नुकसान

बैंक	नुकसान
आईओबी	8.44
ओरिएंटल बैंक	6.50
कॉर्पोरेशन बैंक	5.58
विजया बैंक	5.30
आंध्रा बैंक	4.08
आईडीबीआई बैंक	3.98
इलाहाबाद बैंक	1.54
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.66

*आँकड़े प्रतिशत में

कैसे हो रहा नुकसान : बैंकों की कर्ज में फंसी संपत्ति (एनपीए) के बढ़ने से उनका लाभ घटता है। इसका सीधा असर उनका शेयर खरीदने वाले निवेशकों को होता है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ सरकारी बैंकों में एनपीए दोगुना बढ़ा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की 52 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है। ऐसे में आप करदाता हैं और शेयरों में निवेश नहीं किया है तब भी कमाई इन बैंकों में डूब रही है।

रिजर्व बैंक ने चेताया : कर्ज में फंसी संपत्ति (एनपीए) में करीब दोगुना बढ़ोतरी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) को चेतावनी दी है। बैंक को इसके लिए जल्द आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। इसका एनपीए जून तिमाही में बढ़कर 9.4 फीसदी पहुँच गया। पिछले साल की समान अवधि में यह 5.84 फीसदी था।

सरकार भी सख्त हुई : सरकारी बैंकों को विभिन्न मानकों पर खरा उतरकर कामकाज करने के लिए सरकार हर साल इनको अतिरिक्त पूंजी की सहायता देती है। इस साल की शुरूआत में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल बेहतर प्रदर्शन करने वाले नौ बैंको को ही 6,999 करोड़ रुपये की मदद देगी। इससे छोटे सरकारी बैंकों को प्रदर्शन सुधारने का मौका मिलेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.10.2015)

पेपर प्रिंट डीएल 31 दिसम्बर तक मान्य

ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड के पेपर प्रिंट की वैधता अब 31 दिसम्बर, 2015 तक ही मान्य होगी। पहले ड्राइविंग लाइसेंस के पेपर प्रिंट की मान्यता निर्गत होने के छह महीने तक मान्य रहता था। परिवहन विभाग के एक आदेश के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के पेपर प्रिंट की मान्यता अब 31 दिसम्बर 2015 तक ही मान्य होगी। यानी आज की तारीख में यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंस का पेपर प्रिंट निर्गत करता है तो वह अगले दो महीन तक ही मान्य होगा।

विभाग को ऐसी उम्मीद है कि दिसम्बर के अंत तक स्मार्ट कार्ड आ जाएगा। अगर किसी कारण नहीं आ पाएगा तो उसकी वैद्यता बढ़ाई जाएगी। लगभग छह महीने से डीटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहनों का ऑनर बुक के स्मार्ट कार्ड की कमी के कारण परिवहन विभाग ने स्मार्ट कार्ड के बदले पेपर प्रिंट मान्य कर दिया था। अब तक यह पेपर प्रिंट जारी होने के छह महीने तक मान्य था, लेकिन इसकी मान्यता 31 दिसम्बर 2015 तक कर दी गई है, चाहे वह लाइसेंस किसी दिन भी निर्गत किया जाए।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.10.2015)

बैंकिंग सौदों में ज्यादा पारदर्शिता को मजबूत होंगे केवाईसी मानक

बैंकिंग सौदों को ज्यादा पारदर्शी और ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिहाज से सरकार केवाईसी नियमों को और मजबूत बनाने पर विचार कर रही है। इसके तहत 'आधार' को केंद्र में रखा जा सकता है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) के लिए उपलब्ध दस्तावेजों में केवल आधार ही ऐसा है जो ग्राहक की पहचान का पुख्ता प्रमाण हो सकता है। हालांकि आधार को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन वित्त मंत्रालय का मानना है कि केवाईसी के लिए आधार के इस्तेमाल के मामले में रुकावट आने की संभावना नहीं है। सरकार बैंक ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ही केवल आधार का इस्तेमाल करेगी। इस मामले को लेकर वित्त मंत्रालय में हो रहे विचार-विमर्श में यह माना गया है कि केवाईसी के तहत लिए जाने वाले अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी की संभावना बनी रह सकती है। पासपोर्ट से लेकर पैन कार्ड अथवा वोटर आइडी बनवाने में फर्जीवाड़े की आशंका रहती है। चुंकि आधार ही एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें बायोमेट्रिक पहचान का प्रावधान है, इसलिए इसे ज्यादा सुरक्षित दस्तावेज माना जा रहा है। वित्त मंत्रालय का तर्क है कि वैसे भी देश की आबादी के बड़े हिस्से के पास अब आधार नंबर और कार्ड उपलब्ध है। करीब 92 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य बचे हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर आधार कार्ड बनाने का काम अभी बाकी है।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.10.2015)

आधार दर में कटौती का पूरा लाभ न देने वाले बैंकों पर आरबीआई की नजर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस तथ्य को जानकर सहज नहीं है कि वाणिज्यिक बैंक अपने नए ग्राहकों को आधार दर में कटौती का पूरा लाभ नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई कर्जदाताओं से पूछताछ कर सकता है।

उदाहरण के लिए, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी आधार दर में 40 और आईसीआईसीआई बैंक ने 35 आधार अंकों की कटौती की है। लेकिन आवास कर्ज के नए ग्राहकों के लिए ब्याज दर में महज 20 से 25 आधार अंकों की कटौती की गई जबकि पुराने ग्राहकों को आधार दर में कटौती का पूरा लाभ मिलेगा। आरबीआई को इस बात पर आपत्ति है कि समान जोखिम प्रोफाइल वाले ग्राहकों से बैंक अलग-अलग ब्याज दरें क्यों वसूल रहे हैं। केन्द्रीय बैंक के एक शीर्ष सूत्र ने कहा, 'यह बिना भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण नीति के खिलाफ है। अक्सर हम ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार पर जोर देते हैं।' उन्होंने कहा, 'यदि वे किसी एक खंड (वाहन या आवास कर्ज) के लिए मार्जिन में बदलाव करते हैं तो वह इस आधार पर उचित हो सकता है कि उस खंड में जोखिम को लेकर बैंक की धारणा बदल गई है। लेकिन समान जोखिम प्रोफाइल वाले ग्राहकों को अलग-अलग दरों पर भुगतान नहीं करना चाहिए।'

बैंकिंग नियामक इस बाबत बैंकों से विस्तृत पूछताछ करने की योजना बना रहा है। साथ ही आरबीआई इस मुद्दे पर बैंकों को अपनी राय से भी अवगत करएगा।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.10.2015)

तेरह बैंकों पर 68 लाख का जुर्माना

संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट दाखिल न करने पर लगा है यह जुर्माना

लेनदेन व मनी लांड्रिग के संदिग्ध प्रयासों की रपट नहीं देने पर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के दर्जन भर बैंकों पर 68 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह के मामले 2013 में एक स्टिंग आपरेशन' में सामने आए थे।

किस बैंक पर कितना जुर्माना • एचडीएफसी बैंक : रु० 26 लाख • आईसीआईसीआई बैंक : रु० 14 लाख • एक्सिस बैंक : रु० 13 लाख • सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया : रु० 02 लाख • बैंक ऑफ महाराष्ट्र : रु० 02 लाख • फेडरल बैंक : रु० 02 लाख • बैंक ऑफ इंडिया : रु० 02 लाख • ओरियंटल बैंक : रु० 01 लाख • कारपोरेशन बैंक : रु० 01 लाख

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 12.10.2015)

30 लाख रुपए तक के फ्लैट पर मिलेगा ज्यादा कर्ज

बैंक अब 30 लाख रुपये तक का मकान खरीदने के लिए 90 प्रतिशत तक का कर्ज दे सकते हैं। पहले यह सुविधा केवल 20 लाख रुपये तक के मकानों पर लागू थी। रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश जारी किया।

देश के सभी बड़े बैंकों द्वारा आवास ऋण पर ब्याज दर घटाए जाने के बाद

ज्यादा ब्याज वसूल रहे बैंक

"एसबीआई ने आधार दर 0.40 फीसदी घटाकर 9.30 फीसदी कर दिया है। लेकिन अब वह महिलाओं को आधार दर से 0.20 फीसदी और सामान्य उपभोक्ताओं को 0.25 फीसदी ऊंचे दर पर होम लोन देगा। जबकि पहले इसके लिए 0.10 फीसदी और 0.15 फीसदी ज्यादा लेता था। आईसीआईसीआई बैंक भी 0.10 फीसदी का इजाफा किया है। बैंक ने 0.35 फीसदी आधार दर घटाया है लेकिन उपभोक्ताओं को 0.25 फीसदी फायदा ही मिलेगा।" **–एच. आर. खान,** डिप्टी गवर्नर, आरबीआई

रिजर्व बैंक का यह निर्णय आया है। इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो 20 से 30 लाख रुपये के दायरे में मकान तलाश रहे हैं। केन्द्रीय बैंक ने एक परिपत्र में कहा कि व्यक्तिगत आवास ऋण के मामले में 30 लाख रुपये से 75 लाख रुपये तक के मकान के मामले में ऋण मूल्य अनुपात (एलटीवी) 80 प्रतिशत होगा। वहीं 75 लाख रुपये से ऊपर के मकान पर यह 75 प्रतिशत होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 9.10.2015)**

NO POINT MERGING BANKS JUST FOR THE SAKE OF IT

When a weak bank is merged with a stronger one, the result will not be different if redundancies are not addressed.

(Details : The Financial Express, 16.10.2015)

केवल 10 पन्नों में आईपीओ दस्तावेज

निवेशकों के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की कवायद को और आसान बनाने की दिशा में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नियामक की इस नई पहल के अमल में आने के बाद निवेशकों को महज 10 पन्नों में निर्गम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां मिल जाएंगी। इस दोतरफा फायदे वाले कदम से जहाँ निर्गम जारी करने वालों का खर्च कम होगा, वहीं निवेशकों को भी सभी जरूरी जानकारियां मिल जाएंगी ताकि उन्हें निवेश से जुड़ा फैसला लेने में सहूलियत हो।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.10.2015)

बिहार में एक जनवरी से शुरू होगी ई कॉमर्स सेवा

केन्द्र की योजना : • पूर्व में पटना, वैशाली के पाँच सौ डाकिया कर्मियों को प्रशिक्षण मिलेगा • केन्द्र की पोस्टल बैंकिग की शुरुआत भी बिहार से करने की योजना।

डिटिजल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग एक जनवरी से बिहार में ई कॉमर्स सेवाओं की शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए डाकिया को 'हैंड हेल्ड डिवाइस' दी जाएगी। इसके जरिए वे पार्सल की डिलीवरी व बैंकिंग सेवाओं को भी दूर दराज के गांवों तक पहुंचाएंगे।

डाक विभाग के अनुसार, पहले चरण में पटना और वैशाली जिले में ई कॉमर्स सेवा शुरू की जा रही है। इसके तहत डाक विभाग सभी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के उत्पादों का वितरण करेंगे। पटना जिले में 248 और वैशाली में 252 डाकघरों को पहले चरण में कवर किया जा रहा है। कुल पांच सौ 'हैंड हेल्ड डिवाइस' राज्य में भेजी जा रही है। डाक विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, सरकार पोस्टल बैंकिग सेवाओं की शुरूआत भी बिहार से ही करने की योजना बना रही है। बता दें कि डाक विभाग को हाल ही में पोस्टल बैंक लाइसेंस प्राप्त हुआ है। पहले चरण में पटना के चार और गया के तीन डाकघरों में पोस्टल बैंकिग की शुरुआत की जाएगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 19.10.2015)**

वित्तीय समावेश के लिए 2,000 करोड़ रुपये का कोष

रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए विकास और संवर्धन गतिविधियों को समर्थन देने के लिए दो कोषों का विलय करते हुए 2,000 करोड़ रुपये का एक नया वित्तीय समावेश कोष बनाने की घोषणा की है। शुरुआती 5 वर्ष पूरे होने के बाद रिजर्व बैंक ने कहा है कि वित्तीय समावेश कोष और वित्तीय समावेश प्रौद्योगिकी कोष दोनों को मिलाकर एक वित्तीय समावेशी कोष बनाने का फैसला किया गया है। नए वित्तीय समावेशी कोष के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए केन्द्रीय बैंक ने कहा है, 'नए वित्तीय समावेशी कोष का कुल आकार 2,000 करोड़ रुपये होगा। इस कोष का पैसा नाबार्ड में प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज में कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीण ढांचागत विकास कोष (आरआईडीएफ) और अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसी-आरसी) की जमाओं पर 0.5 प्रतिशत से अधिक के ब्याज के अंतर से आएगा।'

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 16.10.2015)

इंडिया पोस्ट-बीएसएनएल के बीच हो सकती है साझेदारी!

भारतीय डाक विभाग 'इडिया पोस्ट' भुगतान बैंक सेवाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दूरभाष कंपनी बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं के इस्तेमाल की संभावना पर विचार कर रहा है। भुगतान बैंक के तहत प्रत्यक्ष बैंकिंग सेवाओं को मुहैया कराने के लिए इंडिया पोस्ट देश भर के अपने करीब 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसों का इस्तेमाल करेगा। विभाग को उम्मीद है कि सेवाएं अगले साल की दूसरी छमाही में शुरू हो जाएंगी। अधिकारी ने कहा कि अभी भुगतान बैंक को अलग इकाई बनाने की तैयारी चल रही है। शुरुआत में भुगतान बैंक में 650 मुख्य शाखाएं होंगी, जहाँ विभाग के बड़े डाकघर हैं। इसके साथ ही 25,000 छोटी शाखाएं होंगी, जबकि 1,30,000 डाकघर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के रूप में काम करेंगे। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 16.10.2015)**

ऑनलाइन बिल भुगतान का विस्तार करेगी बिजली कंपनी

बिजली बिल के ऑनलाइन भुगतान में उपभोक्ताओं की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कंपनी ने ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। राज्य में 100 से अधिक एनी टाइम पेमेंट(एटीपी) मशीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इंटरनेट व मोबाइल से भी बिजली बिल जमा करने की सुविधा का विस्तार पर काम चल रहा है।

उपभोक्ता सेवाओं को लेकर बिजली कंपनी ने बीते दिनों एक सर्वे कराया था। सर्वे रिपोर्ट में उपभोक्ताओं ने बिजली कंपनी के काउंटर पर बिल जमा करने के बजाए ऑनलाइन बिल भुगतान को तवज्जो दिया। पटना में मौजूदा समय में लगभग 65 फीसदी से अधिक उपभोक्ता काउंटर पर जाकर बिल जमा कर रहे हैं। बाकी 35 फीसदी लोग एटीपी, वेबसाइट या बैंक के माध्यम से बिल जमा कर रहे हैं। वहीं, काउंटर पर बिल जमा कर रहे लोगों का कहना था कि अगर उन्हें ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा सहज तरीके से उपलब्ध हो तो वे उसका लाभ उठाना चाहेंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.10.2015)**

बिहार को बक्सर पावर प्लांट से मिलेगी 85% बिजली

पहल : • नेपाल से मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन भी 2021 तक पूरी होगी • इस परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है

बक्सर थर्मल पावर प्लांट से बिहार में बिजली की किल्लत काफी हद तक दूर हो जाएगी। 1320 मेगावॉट के इस पावर प्लांट की 85 प्रतिशत बिजली सिर्फ बिहार को मिलेगी। साथ ही नेपाल से मुजफ्फरपुर तक 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन भी अगले पाँच साल में बनकर तैयार हो जाएगी। ताकि, अरुण -तीन परियोजना से बिजली लाई जा सके।

सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) के अध्यक्ष आर. एन. मिश्रा के मुताबिक, बक्सर थर्मल पावर प्लांट के लिए सरकार ने निर्माण पूर्व निवेश को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। कहा कि 1320 मेगावॉट का बक्सर थर्मल पावर प्लांट तय वक्त पर बनकर तैयार हो जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.10.2015)**

बिजली तार गिरने से फसल जलने पर भी मुआवजा

हाईवोल्टेज तार गिरने से अगर फसल नुकसान होता है, तो किसानों को उसका भी अनुदान मिलेगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने यह निर्देश दिया है। विभाग से शिवहर डीएम ने इस बाबत जानकारी मांगी थी।

आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव अनिरुद्ध कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अग्निकांड को बिहार सरकार पहले से ही प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किए हुए है। ऐसे में कहीं भी अगलगी की घटना होगी तो उसे प्राकृतिक आपदा ही माना जाएगा। भले ही वह अगलगी चिंगारी या शॉर्ट सर्किट से, बीड़ी-सिगरेट या फिर हाईवोल्टेज तार से लगी हो।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.10.2015)

ONLINE PHARMACY RETAILERS UNITE

The online pharmaceutical trade, facing attack from traditional druggists, have linked their activity to Prime Minister Narendra Modi is idea of a Digital India. They've formed an Indian Internet Pharmacy Association (IIPA) to give a united representation to the committee formed by the Union health ministry on the subject, and have made a case for permitting online sales to 'enable convenient access to quality health care'.

The All India Organisation of Chemists and Druggists (AIOCD), which described itself as the apex body of the country's 750,000 chemists and druggists, had told the committee that online pharmacy is entirely illegal in the context of the Drugs and Cosmetics Act and the Information Technology Act. AIOCD is planning a nation wide day's strike on 12.10.2015 to protest against online pharmacy sales. **(Source : Business Standard, 13.10.2015)**

22-24 करोड़ रुपए का कारोबार बाधित

राज्य में केमिस्टों की हड़ताल का हुआ व्यापक असर

पटना की प्रमुख दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में 14.10.2015 को पूरे दिन सन्नाटा रहा दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के समर्थन में पटना और पूरे बिहार के दवा दुकानदारों ने अपने शटर गिराए रखा। होलसेल मंडी भी बंद रही और खुदरा दुकानें भी। बंद का आह्वान कर रहे संगठनों को राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर दुकानदारों का पूरा समर्थन मिला। हालांकि एसोसिएशन ने मरीजों और परिजनों की समस्या को देखते हुए इमरजेंसी के तौर पर बड़े अस्पतालों के आस-पास के चुनिंदा दुकानों को खुला रखा।

• 300 करोड़ का व्यापार राष्ट्रीय स्तर पर हुआ बाधित • 84,000 करोड़ का है दवा का सालाना कारोबार • 8.5 लाख से अधिक दवा दुकानों के शटर देशभर में गिरे रहे पूरे दिन 1,600 दुकानें राजधानी में बंद रहीं • 3,800 से अधिक पटना जिले की दुकानों में रही तालाबंदी • 35,000 दुकानें पूरे बिहार में बंद रहीं

"ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अवमानना हो रही है। अगर हमारी मांगो को सरकार ने नजर अंदाज किया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे।" – **जे पी शिंडे**, अध्यक्ष, ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रमिस्ट्स

"दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से कई प्रतिबंधित दवाएँ गलत हाथों तक पहुंचेगी। फिजिकल स्टोर औषधि नियंत्रकों के जरिए सीधे सरकार की निगरानी में रहता है, यह अच्छा है।" – **संतोष कुमार**, जेनरल सेक्रेटरी, पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, पटना

"हम ई-फार्मेसी का विरोध करते हैं। राज्य में दवा उद्योग से 2 लाख से अधिक की आजीविका चल रही है। हमें विश्वास में लिए बगैर गैरकानूनी ढंग से व्यापार नहीं कर सकता।" – **परसन कुमार सिंह**, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, पटना

खुदरा विक्रेताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स की माजिर्न सरकार सुनिश्चित करे व बिना पर्ची दवाओं की बिक्री प्रतिबंधित करे। – **प्रदीप चौरसिया**, जेनरल सेक्रेटरी फार्मा डिस्ट्रीब्यूर्स एसोसिएशन **(साभार : दैनिक भास्कर, 15.10.2015)**

न्यूनतम वेतन का कानून जल्द

केन्द्र सरकार जल्दी ही एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाएगी। इसे सभी राज्य सरकारों को लागू करना होगा।

केन्द्रीय श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में संवाददाताओं से कहा, न्यूनतम वेतन राज्य सरकारों को तय करना होता है, लेकिन हम एक राष्ट्रीय न्यूनतम कानून बनाना चाहते हैं। यह संवैधानिक होगा और प्रत्येक राज्य सरकार को इस न्यूनतम वेतन को लागू करना होगा। उन्होंने कहा, वेतन के बारे में फार्मूला तैयार हो रहा है। यह जल्दी ही सामने आएगा। इसमें हम बताएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन क्या होगा। इसी के अनुरूप राज्य सरकारों को इसे लागू करना होगा।

उन्होंने कहा, इसमें राज्य सरकारों और श्रमिक संघों से बात हो चुकी है। श्रमिक संगठन 15 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन रखने की मांग कर रहे हैं।

रोजगार कार्यालय काउंसलिंग केन्द्र में बदले जाएंगे: देश में सभी रोजगार कार्यालयों को करियर काउंसलिंग केन्द्र में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार जल्द ही 100 मॉडल केन्द्र खोलेगी।

एक करोड़ लोगों को नौकरी : मंत्री ने कहा कि केंद्र इस वित्त वर्ष के अंत तक करीब एक करोड़ लोगों की नियुक्ति करेगा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की योजना सभी श्रम कानूनों में सुधार लाकर चार प्रमुख संहिता बनाने की है। देश में 44 श्रम कानून हैं। हम चाहते हैं कि श्रम क्षेत्र के चार प्रमुख कानून हों, क्योंकि ये कानून 50 साल पहले बनाए गए थे। इन कानूनों में आज की स्थिति के अनुसार सरल, तर्कसंगत और जटिल प्रक्रिया से बचाने के लिए इनमें सुधार जरूरी है, इसलिए हम चार संहिताएं लाने की योजना बना रहे हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.10.2015)

पीएफ से तीन घंटे में निकाल सकेंगे पैसे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मार्च 2016 से शुरू करेगा सुविधा, कार्रवाई की प्रक्रिया होगी खत्म

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पीएफ निपटान की ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिसके तहत आवेदन मिलने के तीन घंटे के अंदर दावे का निपटान कर दिया जाएगा। ईपीएफओ मार्च के अंत तक पीएफ निकासी की ऑनलाइन सुविधा शुरू करने की उम्मीद कर रहा है।

एक बार यह व्यवस्था परिचालन में आने के बाद अंशधारक पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इस तरह, धन निकालने के लिए कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया अब बीती बात हो जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों की संख्या पाँच करोड़ से अधिक है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के. के. जालान ने कहा कि हमने ऑनलाइन पीएफ निकासी सुविधा शुरू करने के लिए श्रम मंत्रालय को पत्र लिखा है। हम सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के फैसले के बाद इसे मार्च के अंत तक शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं।

सुविधा : • राशि सीघे पीएफ अंशधारक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी • आधार संख्या वाले पीएफ निकासी दावों का निपटान तीन दिन में शुरू होगा • ऑनलाइन निकासी सुविधा शुरू करने के लिए श्रम मंत्रालय को पत्र लिखा गया है।

एक नजर : • 5.6 करोड़ यूएएन जारी किए हैं ईपीफओ की वेबसाइट के अनुसार प्राधिकरण ने • 05 करोड़ से अधिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों की संख्या है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.10.2015)**

पीएफ और पेंशन के लिए मान्य होगा आधार कार्ड

सुप्रीम कोर्ट का फैसला : • मनरेगा और जनधन योजना में भी कार्ड के इस्तेमाल का रास्ता साफ • एलपीजी-पीडीएस को छोड़ कार्ड का इस्तेमाल स्वैच्छिक हो : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केन्द्र सरकार को चार योजनाओं में आधार कार्ड इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। इससे मनरेगा, जनधन, पेंशन और ईपीएफओं में आधार इस्तेमाल करने को रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी और पीडीएस को छोड़कर आधार कार्ड का इस्तेमाल स्वैच्छिक होना चाहिए। इस आदेश का याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया था लेकिन चीफ जस्टिस एच. एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने पूछा, जब पीडीएस व एलपीजी के लिए आधार का इस्तेमाल हो सकता है तो शेष योजनाओं के लिए क्यों नहीं? क्या पीडीएस व एलपीजी में इसके प्रयोग से निजता अधिकार प्रभावित नहीं होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.10.2015)**

CENTRE MAY GET POWER TO NOTIFY MINIMUM BONUS

A DRAFT code on labour has proposed to give the Centre the power to notify from time to time the minimum bonus and eligibility limits. The move, according to sources, is aimed at bypassing the cumbersome process of amending the relevant Act each time for revisions. Once the Centre notifies the lower bonus threshold and the upper salary limit for mandatory bonus, the states are expected to follow them, although they are free to prescribe a higher amount as bonus. **(Details : Financial Express, 16.10.2015)**

BCCI BULLETIN

EXCESS PROVIDENT FUND MONEY HAS TO BE RETURNED

Otherwise, EPFO can freeze your account. But seek detailed calculation to verify the numbers

Employees are always advised to try and not dip into their provident fund (PF) corpus because, it is the most important portion of their retirement corpus. Even if a company closes down, employees will get, at least some part of their PF. Both the employee and employer contribute 12 percent each of the basic salary towards employees' provident-fund (EPF). For 2015-16, the government has fixed the EPF rate at 8.7%.

Most employees are used to getting money from the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and no one is prepared for a letter from their earlier company asking to repay some amount to the EPFO. But a media company employee received such a letter, because an excess amount was paid to him. According to the letter, the EPFO sought repayment otherwise it had threatened to freeze the account.

He was asked to repay the excess amount by cheque to the Regional PF Commissioner. The EPFO gave a time frame of about 20 days to refund the money. **(Details : Business Standard, 08.10.2015)**

अब रेल टिकट पर दर्ज होगा आपका पूरा नाम

दलालों पर अंकुश लगाने के लिए पहल

रेलवे ने टिकट दलालों पर अंकुश लगाने के लिए नयी रणनीति बनायी है। इसके तहत अब टिकट पर पूरा नाम अंकित किया जायेगा। नाम के शॉर्ट फॉर्म से टिकट देने पर पाबंदी लगा दी गयी है। पूर्व मध्य रेलवे ने सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि वह छोटे नाम से टिकट नहीं काटें। अगर कोई यात्री जिद करता है, तो वह इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दें। यात्रियों को भी आरक्षण टिकट फॉर्म पर अपना पूरा नाम लिखना होगा।

क्यों लिया गया निर्णय : अधिकारियों के अनुसार टिकट दलाल दो-तीन माह पूर्व शॉर्ट नाम ए. कुमार, बी. कुमार आदि से कंफर्म टिकट ले लेते हैं। बाद में दलाल वही टिकट दो से तीन गुने दाम में यात्रियों को बेचते हैं। रेलवे ने टिकट पर पूरा नाम लिखने के अलावा अपने स्तर पर मॉनीटरिंग भी शुरू कर दी है। त्योहार में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विभाग द्वारा विजिलेंस की आइटी टीम का गठन किया गया है, जो अधिक टिकट बुक करानेवालों पर नजर रखेगी।

क्या कहते हैं अधिकारी : अगर कोई अपने नाम के शॉर्ट फॉर्म से टिकट लेता है, तो उसे टिकट नहीं दिया जायेगा। यह जानकारी बुकिंग कर्मियों को दे दी गयी है। अगर कोई छोटे नाम से टिकट लेने की जिद करता है, तो इसकी सूचना आरपीएफ को दी जायेगी। – **ए. एन. सिंह**, चीफ रिजर्वेशन अधिकारी, पटना जंकशन **(साभार : प्रभात खबर, 17.10.2015)**

अब डिजिटल आरक्षण चार्ट

पूर्व-मध्य रेल प्रबंधन सभी प्रमुख स्टेशनों पर इलेक्ट्रॅनिक आरक्षण चार्ट लगाएगा। बाद में प्रमुख ट्रेनों में भी इसे लगाया जाएगा। पहले चरण में पटना जंक्शन, राजेन्द्र नगर टर्मिनल व दानापुर स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण डिसप्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, जो इंटरनेट से जुड़ा होगा। जिससे इसे अपडेट किया जा सकेगा। इसे 31 दिसम्बर तक लगा देना है।

इलेक्ट्रॉनिक चार्ट को ट्रेन के खुलने तक अपडेट किया जाता रहेगा। आरएसी व प्रतीक्षा सूची के यात्रियों की पूरी जानकारी इस चार्ट में रहेगी। इसे अपडेट करने की जिम्मेदारी आरक्षण कर्मियों की होगी। इसमें खाली बर्थ की स्थिति भी दिखेगी। एक स्टेशन पर इसे लगाने की लागत लगभग 20 लाख रुपये आएगी। बाद में इसे राजधानी, संपूर्ण क्रांति, एलटीटीई सुपरफॉस्ट, सिकंदराबाद एक्स, यशवंतपुर एक्स, संघमित्रा, श्रमजीवी, मगध एक्सप्रेस आदि ट्रेनों में लगाया जाएगा।

पूमरे के मुख्य जनसंपर्क अरविन्द कुमार रजक के अनुसार इसकी शुरुआत प्रमुख स्टेशनों से होगी। ट्रेन खुलने के एक घंटा पहले से ये चालू हो जाएंगे और ट्रेन के खुलने के आधे घंटे बाद तक ब्लिंक करते रहेंगे। इसे उसी प्लेटफार्म पर लगाया जाएगा जिस प्लेटफार्म से ट्रेन खुलेगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.10.2015)

अब खतरे को भांप पहले ही रुक जाएगी ट्रेन

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे की ओर से एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। ट्रेनों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब सिग्नल सिस्टम को दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा रही है। देश के व्यस्त रेल रूटों पर सेमी हाई स्पीड से गुजरने वाली ट्रेनों को देखते हुए रेल मंत्रालय ने ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है। यह सिग्नल सिस्टम का एडवांस वर्जन है। पूर्व मध्य रेल के मुगलसराय से झाझा के बीच भी रेलखंड के व्यस्त रहने के कारण यहाँ भी इस सिस्टम को लगाया जाएगा। रेलवे बोर्ड में इसका प्रस्ताव भेजा गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी इस एडवांस वर्जन के लगाने की बात रेल बजट में कर चुके हैं। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 19.10.2015)**

मोबाइल से भी लें जनरल टिकट

अब अनारक्षित व प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए घंटों कतार में नहीं लगना होगा। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अनारक्षित व प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग मोबाइल के जरिये करने की शुरुआत की है। प्रथम चरण में इसे मुम्बई के लोकल उपनगरीय ट्रेनों व नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से पलवल स्टेशन के बीच यह सुविधा लागू की गई है। अगले चरण में यह सुविधा पटना जंक्शन सहित अन्य स्टेशनों पर लागू होगी।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 13.10.2015)

तीन साल में 300 नई ट्रेनें शुरू फिर भी कंफर्म नहीं होती सीट

त्योहारी सीजन आते ही ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट लंबी होने लगी है। यात्री परेशान है कंफर्म बर्थ के लिए। रेलवे इसलिए परेशान है कि यात्री भार कम हो रहा है। 3 साल में 25 करोड़ से ज्यादा यात्री घट गए। अब इस समस्या का निदान ढूंढ़ने रेलवे ने 68 मंडलों के अफसरों को लगाया है।

रेलवे की चिंता है कि 3 साल में 300 नई ट्रेनें चलाई। 100 से अधिक ट्रेनों के फेरे बढ़ाए। कोच भी बढ़ाए, फिर भी यात्री को वेटिंग का टिकट मिलता है। रेलवे के सिस्टम में खामी से ट्रेनें फुल होते हुए भी टिकट की संख्या कम हो रही है तो बर्थ होते हुए भी यात्री को ट्रेन की जगह दूसरा साधन ढूंढ़ना पड़ रहा है।

रेलमंत्री ने कहा, कोच बढ़ाकर देंगे सुविधा : रेलमंत्री सुरेश प्रभु का कहना है कि ट्रेनों में 24 से 26 कोच किए जा रहे हैं। वेटिंग यात्रियों के लिए विकल्प की सुविधा शुरू हो रही है। यात्री को ट्रेन में सीट देने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 17.10.2015)**

हर हाल में ट्रेनों का समय पर हो परिचालन : जीएम

पूर्व मध्य रेल मुख्यालय, हाजीपुर के सभाकक्ष में महाप्रबंधक ए. के. मित्तल की अध्यक्षता में प्रमुख अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागाध्यक्षों सहित मंडल के मंडल रेल प्रबंधकों ने भाग लिया। महाप्रबंधक ने ट्रेनों के समय पालन पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए जो भी जरूरी हो कदम उठाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने आय, माल लदान, संरक्षा एवं साफ-सफाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

महाप्रबंधक श्री मित्तल ने पूमरे की आय एवं माल लदान में वृद्धि के लिए पर्याप्त कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने चल रहे टिकट चेकिंग अभियान को निरंतर ज़ारी रखने का निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे विभाग से कर्मचारियों को टिकट चेकिंग में लगाया जाये। उन्होंने संरक्षा पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया। संरक्षा में सुधार लाने के लिए उन्होंने समपार फाटकों पर इंटरलाकिंग और मैनिंग पर जोर दिया। महाप्रबंधक ने कहा कि दानापुर मंडल में रनिंग ट्रेनों में साफ-सफाई के लिए उपलब्ध सुविधा के लिए एसएमएस आधारित आधारित शिकायत प्रारंभ की गयी है। इस सुविधा को पूर्व मध्य रेल के अन्य मंडलों में लागू करने का भी निर्देश दिया। समय पालन में सुधार के लिए उन्होंने कहा कि पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन सोनपुर मंडल में मेमू रैक से एवं समस्तीपुर मंडल में डेमू रैक से किया जायेगा। उन्होंने ट्रेनों प्लेटफार्मो एवं स्टेशन परिसर तथा रेलवे कॉलोनियों में साफ-सफाई और बेहतर करने एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 14.10.2015)

पार्किंग की समस्या होगी दूर

मल्टी लेवेल पार्किंग के शुरू होने से बुद्ध मार्ग व पटना जंक्शन में वाहन पार्किंग की समस्या से निजात मिल जाएगी। 29 अक्टूबर से बुद्ध पार्क में बनकर तैयार मल्टी लेवेल पार्किंग की शुरुआत हो जाएगी। मल्टी लेवेल पार्किंग में 600 चारपहिया वाहन एक साथ लगाए जा सकते हैं। पिछले चार साल से बनकर तैयार पार्किंग के शुरू होने का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। कमिश्नर आनंद किशोर ने बुडको के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगले दो दिनों में मल्टी लेवेल पार्किंग में वाहन पार्क करने का शुल्क निर्धारित किया जाए। मल्टी लेवेल पार्किंग में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वाहन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पार्क करने से पहले प्रवेश द्वार पर ही पता चल जाएगा कि किस फ्लोर पर कितनी जगह खाली है। प्रवेश द्वार पर कंप्यूटर आपरेटर आपको बताएगा कि कौन से फ्लोर पर वाहन लगाना है। ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर तक वाहन ले जाने के लिए सुविधाजनक स्लोप बनाया गया है ताकि वाहनों को पार्क करने में कोई परेशानी नहीं हो। **(साभार : दैनिक जागरण, 19.10.2015)**

बेली रोड फ्लाई ओवर के नीचे लगेगा पार्किंग शुल्क

बेली रोड पर शेखपुरा मोड़ से जगदेव पथ तक निर्मित फ्लाई ओवर के नीचे नगर निगम जल्द ही वाहन पार्किंग शुल्क की वसूली करेगा। नगर आयुक्त जय सिंह ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर पार्किंग शुल्क वसूली अधिकार की मांग की है।

बताते चलें कि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार सड़कों पर वाहन पार्किंग-टेंपो पार्किंग की व्यवस्था निगम को करनी है।

अनुमति बाद ही लगेगा शुल्क : बेली रोड फ्लाई ओवर पथ निर्माण विभाग की परिसंपत्ति है। ऐसे में नगर तब तक पार्किंग शुल्क नहीं वसूल सकता है, जब तक कि पथ निर्माण विभाग उसे इसका अधिकार नहीं देता है।

आयुक्त जय सिंह ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को लिखे पत्र में कहा कि पार्किंग स्थल से वसूली राशि निगम के आंतरिक राजस्व का मुख्य हिस्सा है। इससे सड़कों के सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था, फॉगिंग आदि की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2011- 12 में भी पथ निर्माण विभाग ने 51 पार्किंग स्थल निगम को स्थानांतरित किए हैं। पार्किंग शुल्क वसूली के अधिकार देने के बाद भी इस जगह पर पथ निर्माण विभाग को स्वामित्व पूर्ववत बना रहेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 13.10.2015)

बिहटा के साथ सोनपुर व नौबतपुर में बढ़ी प्लॉट की बिक्री

राज्य के अन्य इलाकों की तुलना में आवागमन के साधनों रेलमार्ग, सड़क मार्ग व हवाई मार्ग की बेहतर सुविधा होने के साथ ही शिक्षा-दीक्षा सहित अन्य व्यवस्था होने की वजह से हर व्यक्ति पटना और इसके आसपास के इलाकों में बसना चाहता है। यही वजह है कि यहाँ रियल इस्टेट ने रफ्तार पकड़ ली है।

बिहटा इलाकों के जिन खेतों में तीन-चार साल पहले तक लहलहाती फसलें दिखती थीं, वहाँ अब बहुमंजिली इमारतें दिख रही हैं। सगुना मोड़ अब घनी आबादी का क्षेत्र बन चुका है। बिल्डर्स और ग्राहक अब ज्यादा खुले स्पेश और ग्रीन रेशियो को तवज्जो दे रहे हैं। सगुना मोड़ से खगौल जाने के रास्ते में आसोपुर के इलाके ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी नई पहचान बना ली है।

सुविधाओं के साथ प्लॉट उपलब्ध : बिहटा में 4 एकड़ के प्लॉट पर रिहायशी प्लाटिंग प्रोजेक्ट को आकार देते एक निजी बिल्डर के प्रोजेक्ट मैनेजर आकाश वर्मा बताते हैं कि इस क्षेत्र में प्लॉट खरीदनेवालों की कोई कमी नहीं है। वे बताते हैं कि बदलते लाइफस्टाइल ने लोगों को व्यवस्थित मोहल्ले की परिकल्पना से जोड़ा है। उनकी कंपनी चहारदीवारी, 40 फुट चौड़ा मुख्य रोड, 20 फुट चौड़ी आंतरिक सड़क, फुटपाथ, सीवरेज, बोरिंग के पानी, बिजली कनेक्शन के साथ प्लॉट उपलब्ध कराती है। कंपनी की ओर से मकान के नवशे और विकल्प भी प्रस्तावित किए जाते हैं। इस वक्त बिहटा मुख्य मार्ग के आसपास लगभग 30 बिल्डर्स के छोटे-बडे प्रोजेक्ट चल रहे है।

"रियल इस्टेट बाजार को सपोर्ट मिलने लगा है। उम्मीद है कि इस धनतेरस और दीवाली से बिक्री बढ़ेगी। ब्जाज दरें कम हुई हैं, ग्राहकों को इसका फायदा उठाना चाहिए।" – मणिकांत, स्टेट चेयरमैन, बिल्डर्स एसो० ऑफ इंडिया

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 13.10.2015)

अब खाली भूखंड पर भी देना होगा होल्डिंग टैक्स

नगर निगम अब खाली भूखंडों पर भी होल्डिंग टैक्स वसूलेगा। नगर आयुक्त जय सिंह ने चारों अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू करें। इसके लिए सॉफ्टवेयर में भी प्रावधान कर दिया गया है, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही खाली भूखंड मालिकों को टैक्स भरते समय बिजली बिल नहीं देना होगा। टैक्स देते समय सिर्फ भूमि निबंधन दस्तावेज या भूमि राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी। इसी आधार पर टैक्स की राशि का निर्धारण होगा।

टैक्स की दर : • प्रधान मुख्य सड़क पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर या 46 पैसे प्रति वर्ग फुट • मुख्य सड़क चार रुपये प्रति वर्ग मीटर या 37 पैसे प्रति वर्ग फुट • अन्य सड़क तीन रुपये प्रति वर्ग मीटर या 28 पैसे प्रति वर्ग फुट

(साभार : प्रभात खबर, 12.10.2015)

प्रक्रिया शुरू, पर एक भी नक्शा पास नहीं

नगर निगम ने नक्शा पास करने की प्रक्रिया भले ही शुरू कर दी है, लेकिन अब तक एक भी नक्शा पास नहीं हुआ है। आवासीय भवनों के लिए नक्शा पास करने की दिशा में जाँच प्रक्रिया चल रही है, वहीं बहुमंजिली इमारतों के लिए बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसी बीच, बिल्डरों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के स्टेट चेयरमैन मणिकांत ने आपत्ति जताई है। उन्होंने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि रजिस्ट्रेशन नगर विकास विभाग से हो, न कि नगर निकाय से। बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन होने पर अलग-अलग नगर निकायों में दौड़ना नहीं पड़ेगा।

क्यों हैं आपत्ति : दरअसल, रजिस्ट्रेशन में बिल्डर से एफिडेविट मांगा जा रहा है। इसमें बताना है कि किसी भी प्रकार के निगरानीवाद या अन्य किसी तरह का वाद होने पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। अगर किसी बिल्डर पर निगरानीवाद चल रहा है, तो वह रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेगा। इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि यह नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। इस पर नगर विकास विभाग ने नगर आयुक्त से दो दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है।

सड़क वर्गीकरण भ्रामक : बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के स्टेट चेयरमैन मणिकांत ने निगम द्वारा प्रकाशित सड़कों के वर्गीकरण को भ्रामक बताया है। मांग की है कि विभिन्न नगर निगमों और नगर निकायों को निर्देश दिया जाए कि रोड का वर्गीकरण बिहार बिल्डिंग बाइलॉज 2014 के आधार पर किया जाए। पटना नगर निगम द्वारा हाल में कुछ सड़कों का वर्गीकरण प्रकाशित किया गया है, जो भामक है। उसमें बाइलॉज़ के प्रावधानों के अनुसार सड़क के किनारे स्थित चैनल, स्टॉर्म, वाटर ड्रेनेज, कल्वर्ट, साइड ट्रैक ट्रैफिक, इनलैंड रोड, साइड ट्री और रेलिंग को इनक्लूड करना है। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 12.10.2015)**

आपकी संपत्ति किसी और के नाम तो नहीं!

पटना नगर निगम की वेबसाइट ptax.nagarsava.in पर कुछ खामियाँ उजागर हुई हैं।

अखिलेश्वर ठाकुर की प्रोपर्टी में बदलाव करने का प्रयास किया गया तो वेबसाइट की खामियां उजागर हुई। सिर्फ नोटिस संख्या से उनका नाम, प्रॉपर्टी का प्रकार निकल गया। दूसरे में उनके नाम की जगह महेश्वर ठाकुर कर दिया गया।

"लोगों के सुझाव के बाद वेबसाइट की कई खामियों में सुधार किया गया है। कुछ और में सुधार के प्रयास हो रहे हैं। घर बैठे प्रॉपर्टी के नाम परिवर्तन जैसे खामियों की जानकारी मुझे नहीं थी। –जय सिंह, नगर आयुक्त

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 16.10.2015)

पटना में घर का सपना पूरा कर रहा सोनपुर

राजधानी में गंगा नदी के उत्तरी छोर पर लगभग 12 किमी क्षेत्र में आमलोगों के सपने आकार ले रहे हैं। रियल इस्टेट की एक दर्जन से अधिक कंपनियां प्लॉट, बंगले और डुप्लेक्स बेच रही हैं। इस क्षेत्र का भविष्य बेहतरीन तरीके से प्लानड टाउनशिप के रूप में तय है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 16.10.2015)**

नक्शे के लिए पुराने-नए क्षेत्रों की सूची प्रकाशित

भवनों के नक्शों की स्वीकृति के लिए नगर निगम ने प्रस्तावित नए और पुराने क्षेत्रों की सूची वेबसाइट पर डाल दी है। सूची वार्डवार बनाई गई है। क्षेत्र की जानकारी चौहद्दी के साथ दी गई है। 16 नवंबर तक इसपर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। कोई भी व्यक्ति निगम कार्यालय अथवा वेबसाइट के माध्यम से अपने सुझाव या आपत्ति दर्ज करा सकता है। सुझाव व आपत्तियों को नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा, ताकि अंतिम रूप से सूची बन सके।

पाँच वार्ड पूर्णतः नए क्षेत्र में : प्रस्तावित नए क्षेत्रों में वार्ड नंबर 11, 56, 61, 62 व 68 को पूरी तरह, जबकि वार्ड नंबर 30, 31, 32, 33 व 46 के कुछ हिस्से को शामिल किया गया है। शेष अन्य वार्डों को पुराने क्षेत्र में रखा गया है। पुराने और नए क्षेत्र के निर्धारण से भवनों के नक्शे की स्वीकृति में बिहार भवन उपविधि 2014 की धाराओं के तहत ऊंचाई व फ्लोर एरिया रेशियो में भी परिवर्तन होगा। जैसे पुराने क्षेत्र में 60 फीट व अधिक चौड़ी सड़क पर एफएआर 2.5 है, जबकि नए क्षेत्र में 80 फीट, 90 फीट और 100 फीट चौड़ी सड़क पर एफएआर 3.00, 3.25 और 3.50 है।

सूची वेबसाइट www.patnanagarnigam.in पर देख सकते हैं।

प्रस्तावित नए क्षेत्रों की चौहद्दी

वार्ड नंबर 11 : उत्तर : वार्ड नंबर 10. न्यू बाईपास, दक्षिण : पटना नगर निगम सीमा, पूर्व : पटना नगर निगम सीमा, वार्ड नंबर 30, अनीसाबाद रोड, पश्चिम : पटना नगर निगम सीमा

वार्ड नंबर 30, 31, 32, 33, 46 का पार्ट : उत्तर : न्यू बाइपास, दक्षिण : निगम सीमा, पूर्व : वार्ड नंबर 56, पश्चिम : वार्ड नंबर 11

वार्ड नंबर 56, 61, 62, 68 : उत्तर : रेलवे लाइन, वार्ड नंबर 46, दक्षिण : निगम सीमा, पूर्व : वार्ड नंबर 72, निगम सीमा, पश्चिम : गाँधी सेतु वार्ड नंबर 46 **(साभार : दैनिक भास्कर, 15.10.2015)**

इससे संबंधित पटना नगर निगम की आम सूचना सदस्यों को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। इच्छुक सदस्य चैम्बर से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

हर मंगलवार को होगी नक्शा कमेटी की बैठक

नगर निगम के तीन सदस्यीय नक्शा कमेटी की बैठक अब हर मंगलवार को दोपहर तीन बजे से होगी। नक्शा पारित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निदेशक शहरी योजना खगेश चंद्र विश्वास ने यह आदेश दिया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि कमेटी को प्रस्तुत नक्शे की पूर्ण जाँच कर अपना प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा के साथ निदेशक शहरी योजना को सौंपना होगा। निदेशक, शहरी योजना कमेटी की इस रिपोर्ट के अनुसार नक्शा स्वीकृति के लिए नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 15.10.2015)**

पुराने लीजधारियों को नहीं कराना होगा नवीनीकरण

खासमहाल की जमीन के केस में हाईकोर्ट का फैसला

पटना हाईकोर्ट ने सूबे की हजारों एकड़ खासमहाल जमीनों के पुराने लीजधारी को राहत दी है। अदालत ने दिनांक 08.10.2015 को अपने फैसले में कहा कि इन्हें नई खासमहाल नीति 2011 के तहत अपने लीज का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं है।

न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकलपीठ ने खासमहाल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर रिट याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। कहा-पुराने लीज जो बिहार गवर्नमेंट इस्टेट मैनुअल से संचालित होते हैं उसपर नई खास महल नीति की लीज नवीनीकरण की शर्त लागू नहीं होती।

नई नीति के अनुसार हर लीज का प्रत्येक 30 वर्षों पर नवीनीकरण होगा जिसमें जमीन के वर्तमान बाजार मूल्य का 2 से 5 फीसदी सलामी के रूप में देनी होगी और बकाया लगान की दोगुनी राशि 10 फीसदी सूद के साथ जमा करने की अनिवार्यता है।

नवीनीकरण नहीं कराने पर 90 दिनों की समय सीमा के बाद सरकार खासमहाल लीज की शर्तों का उल्लंघन मानेगी और स्वत: लीज समाप्त कर दूसरे व्यक्ति को जमीन दे देगी। इसी प्रावधानों से क्षुब्ध होकर रिट याचिका दायर की गई थी। इस फैसले से दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। खास महाल की हजारों एकड़ जमीन पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और अन्य शहरों में पुरानी लीजधारियों के पास है और जिनके लीज रद्द होने का खतरा मंडराता दिख रहा था। याचिकाकर्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा, ए. जे. के. वर्मा और निखिल अग्रवाल ने रखा। सरकार की ओर से द्वितीय अपर महाधिवक्ता डी के सिन्हा ने याचिका का विरोध, उसका औचित्य और याचिकाकर्ता के अस्तित्व होने पर सवाल उठाया था क्योंकि वह एक रजिस्टर्ड सोसाइटी पटना की थी और रिलीफ सूबे के पूरे खासमहल जमीनों के लिए मांगी गयी थी। लंबी सुनवाई के बाद 18 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था जिसे 08.10.2015 को सुनाया गया। **(साभार : दैनिक भास्कर, 9.10.2015)**

फोन या पत्र से फर्जी एनबीएफसी कंपनियों की दें जानकारी

फर्जी एनबीएफसी कंपनियों पर नकेल कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नयी पहल की है। पहले आरबीआइ ने बैंकों को ऐसी कंपनियों की सूचना एकत्र करने को कहा था, अब इसमें आम लोगों को भी जोड़ा गया है। आम लोग आरबीआइ के पटना कार्यालय, गाँधी मैदान में फोन या पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दे सकते हैं। आम लोग लैंडलाइन नंबर 0612-2321290 पर फोन कर बना सकते हैं कि संबंधित जगहों पर फर्जी एनबीएफसी कंपनियां चल रही हैं।

नाम पूरी तरह से रहेगा गुप्त : आम लोग जो भी सूचना देंगे, उसकी पूरी जानकारी को गुप्त रखा जायेगा। मसलन यह कि नाम, पता और अन्य जानकारी के बारे में किसी को नहीं बताया जायेगा। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि फर्जी एनबीएफसी कंपनियों से आम लोगों को बचाने के लिए अलग-अलग माध्यम से जानकारी जुटायी जा रही है।

(साभार : प्रभात खबर, 12.10.2015)

अचानक फोन कटा तो मिलेगा हर्जाना

कॉल ड्रॉप मामले में ट्राई ने कंज्यूमर्स के हित में अहम फैसला सुनाया है। अब मोबाइल पर बात करते-करते अचानक कॉल कट जाने पर कंज्यूमर्स को टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से एक रुपए हर्जाना मिलेगा। अपने फैसले में ट्राई ने कहा है कि यह क्षतिपूर्ति प्रतिदिन तीन रुपए से अधिक नहीं होगी। ट्राई ने इस संबंध में जारी अपने आदेश में कहा है कि टेलीकाम ऑपरेटर्स को कॉल ड्राप की स्थिति में एक जनवरी 2016 से भरपाई करनी होगी। उसने कॉल ड्रॉप की सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि रात 12 बजे से अगले दिन रात 12 से पहले तक प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए कंपनियों को कस्टमर्स के खाते में एक रुपए जमा कराने होंगे। ऑपरेटर्स को कंज्यूमर्स को 24 घंटे में मैक्जिमम तीन कॉल ड्रॉप की भरपाई करनी होगी।

चार घंटे में देनी होगी सूचना : कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर ट्राई ने कहा कि कंपनियों को चार घंटे के भीतर कस्टमर्स को कॉल ड्रॉप की सूचना और उनके खाते में जमा की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि का विवरण एसएमएस या यूएसएसडी के माध्यम से देना होगा। पोस्टपेड कंज्यूमर्स को यह डिटेल उनके अगले बिल में देना अनिवार्य किया गया है। **(साभार : आई नेक्स्ट, 17.10.2015)**

कार में खराबी के लिए कंपनी से मांग सकते हैं मुआवजा

एक मामले में उपभोक्ता ने कार खरीदी। उपभोक्ता जब अपनी कार से पहाड़ी स्थल पर गया तो उसे कार में स्पीड को लेकर खराबी महसूस हुई। कार को पहाड़ी रास्तों पर चलाने में दिक्कत आ रही थी। उपभोक्ता ने कार डीलर से इस बात की शिकायत की। वहाँ कार की जाँच करने के बाद उसे ठीक करके उपभोक्ता को दे दिया गया। लेकिन सड़क पर चलाने के दौरान दोबारा वहीं खराबी आने लगी। उपभोक्ता ने दोबारा इसकी शिकायत की। डीलर ने तीन सर्विस के बाद बताया कि कार में कुछ तकनीकी खराबी है और उसका इंजन बदलना पड़ेगा। डीलर ने मुफ्त में इंजन बदलकर दे दिया। इसके बाद भी खराबी दूर नहीं हुई। इसके बाद शिकायत पर डीलर ने कहा कि उसका काम सर्विस देना है और कार में खराबी के लिए वह कंपनी से शिकायत करे।

उपभोक्ता ने सेवा में कमी के आधार पर कंपनी और डीलर के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। यहाँ डीलर ने कहा कि कार में खराबी

दूर करने की कोशिश की और इंजन भी बदल कर दे दिया। इसके बाद भी कोई खराबी है तो इसके लिए कार बनाने वाली कंपनी जिम्मेदार है। कंपनी ने दलील में कहा कि उपभोक्ता को कार चालू हालत में दी गई थी और उसमें कोई खराबी नहीं थी। कार दुर्घटना का शिकार हुई थी जिसे उपभोक्ता ने छिपाया है। कंपनी ने कहा कि दो साल की वारंटी थी और उस अवधि में इंजन बदलकर दिया गया है। कार अभी तक डीलर के यहाँ पड़ी हुई है। अब समय बीत जाने के बाद कंपनी उपभोक्ता को पैसे वापस नहीं दे सकती है।

जिला फोरम ने मामले पर गौर करते हुए कंपनी से कहा कि वह नई कार की कीमत करीब 4.96 लाख रुपये और 20 हजार रुपये उपभोक्ता 45 दिन के भीतर दे। ऐसा नहीं होने पर नौ फीसदी ब्याज देना होगा। इसके खिलाफ कंपनी और डीलर दोनों राज्य उपभोक्ता आयोग में गए। यहाँ आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह कार की खराबी पूरी तरह ठीक करके तीन माह के भीतर उपभोक्ता को सौंप दे। इसके खिलाफ उपभोक्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में रिवीजन याचिका दायर की। आयोग ने वाहन विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ता की शिकायत को सही पाया। अत: जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखते हुए मुआवजे की राशि को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया। साथ ही 90 दिन के भीतर नहीं देने पर 12 फीसदी ब्याज देने को कहा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.10.2015)**

CIC WITNESSES 95% DROP IN CASES IN LAST TWO MONTHS

Transparency Watchdog Rejecting Pleas On Technical Grounds

The Central Information Commission (CIC) has registered a 94.61 % drop in the number of cases in the last two months with an average daily number plummeting from 223 cases in January-July to 12 cases in August-September 2015.

There are eight information Commissioners including Chief Information Commission (CIC) Vijai Sharma. Disposal of cases has also come down by 11% from an average of 99 cases a day (between Jan-July) to 88 cases between Aug-Sept according to analysis by CIMI's Venkatesh Nayak. RTI activists said that transparancy watchdog was rejecting appeals and complaints on tehnical grounds. **(Details : Times of India, 16.10.2015)**

आरटीआइ आवेदनों का जवाब देते समय रखें थ्री टी का ध्यान

केन्द्रीय सूचना आयोग की 10वीं वर्षगांठ पर बोले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी विभागों से कहा कि वे आरटीआइ आवेदनों के जवाब देते हुए तीन 'टी' टाइमलीनेस (समयबद्धता), ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) और ट्रबल-फ्री अप्रोच (सरल पद्धति) को ध्यान में रखें, क्योंकि इससे शासन में गलतियों को कम करने में मदद मिलेगी।

केन्द्रीय सूचना आयोग की 10 वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि शासन में और ज्यादा खुलापन होने से नागरिकों को मदद मिलेगी, क्योंकि आज के दौर में गोपनीयता की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि आरटीआइ के जवाब समयबद्ध, पारदर्शी और सरल पद्धतिवाले होने चाहिए। इससे गलतियों की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।

सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए : मोदी ने कहा कि आरटीआइ सिर्फ जानने के अधिकार के बारे में नहीं है, यह सवाल पूछने के अधिकार के बारे में भी है, क्योंकि इससे लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा। लोगों के पास सरकार से सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। यह लोकतंत्र की नींव है। सूचना का अधिकार कानून का उद्देश्य शासन व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। आरटीआइ कानून सरकारी नीतियों की समीक्षा में भी मदद कर सकता है।

आरटीआइ से जुड़ी है डिजिटल इंडिया ऑनलाइन से रहती है पारदर्शिता : मोदी ने कहा कि सारे प्रशासनिक कार्यों को ऑनलाइन किये जाने को सुनिश्चित करनेवाली उनकी सरकार की पहल 'डिजीटल इंडिया' पूरी तरह से आरटीआइ से जुड़ी है। जब चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं, तो सभी मुद्दे पारदर्शी हो जाते हैं। अधिकतम (चीजें) ऑनलाइन, अधिकतम पारदर्शिता। प्रशासनिक कार्यों में गोपनीयता बना कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। वे दिन जा चुके हैं। आरटीआइ का मुख्य उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना है।

आरटीआइ को सवालों के जवाब तक ही सीमित न करें, दायरा बढ़ाएं : मोदी ने कहा कि आरटीआइ का इस्तेमाल शासन में बदलाव लाने के लिए किया जाना चाहिए न कि किसी विषय विशेष पर पूछे जवाब देने मात्र के लिए । यदि हम आरटीआइ को सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित कर देते हैं, तो शासन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होंगे।

हमें आरटीआइ के सवालों का विश्लेषण करना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या नीतिगत मामलों में बदलाव किये जाने की जरूरत है? सुशासन सुनिश्चित करने के लिए हर विभाग को आरटीआइ को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। **(साभार : प्रभात खबर, 17.10.2015)**

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी. एस. आर. 8342 पटना/दिनाकं 22.10.2015

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन) हटाना आदेश, 2002 एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का. आ. संख्या- 2642 (अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के अनुज्ञापन स्टॉक सीमा और संचालन निर्बधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते हैं:-

(1) बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1495 दिनांक 10.03.2010 द्वारा खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 सितम्बर 2016 तक लागू रहेगा।

परन्तु इस आदेश की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:-

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड धारक निर्यातकों के खाद्य तिलहनों, खाद्य तेलों के निर्यात के लिए तात्पर्यित स्टॉक को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर,

(ख) अनुज्ञप्तिधारक खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं द्वारा खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में रखे गए आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर,

(ग) खुदरा व्यापारियों (मल्टीपल आउटलेट) और बड़े डिपार्टमेंटल खुदरा व्यापारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं पर।

(2) एतद्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(3) यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।

(प्र04/आ-01/09 (खंड-III)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/- (एल. पी. सिंह), सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी. एस. आर. पटना/दिनांक

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रकाशित आदेश 2461 (अ.) दिनांक 25 सितम्बर 2009 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन) हटाना (छठा संशोधन) आदेश, 2009 के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय, संचलन,

विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात, खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के लिए 30 सितम्बर 2010 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा गया है। उक्त आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्यिों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 9 दिनांक 19 अप्रील 1984 के द्वारा प्रकाशित बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन पत्र एकीकरण) आदेश 1984 के खण्ड-3 एवं खण्ड-18 के अन्तर्गत व्यापारिक वस्तुओं के लिए संचयन सीमा के लिए निर्गत अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 49 दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 में निम्न संशोधन करते हैं, यथा :-

1. राज्य में खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन का कोई भी व्यापारी किसी भी समय स्टॉक में खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन का कोई भी स्टॉक प्राप्त करने की तिथि से 30 (तीस) दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रखेगा और किसी भी समय स्टॉक में नीचे उल्लिखित मात्रा से अधिक सभी तरह का खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन नहीं रखेगा।

(क) नगर निगम क्षेत्र -खाद्य तेल 500 (पाँच सौ) क्वींटल एवं खाद्य तेलहन 1000 (एक हजार) क्वींटल।

(ख) अन्य सभी क्षेत्र- खाद्य तेल 250 (दो सौ पचास) क्वींटल एवं खाद्य तेलहन 500 (पाँच सौ) क्वींटल।

परन्तु इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गये खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के स्टॉक में लागू नहीं होगी:-

(i) सरकारी मद्दे स्टॉक ; या

(ii) राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित अनुज्ञप्ति प्राप्त उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखा गया स्टॉक; या

(iii) भारतीय खाद्य निगम / राज्य खाद्य निगम द्वारा रखा गया स्टॉक।

2. उपर्युक्त निर्धारित संचयन सीमा का अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार के पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

3. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ / आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

5. यह अधिसूचना निर्गत केन्द्रीय आदेश का. आ. 2461 (अ) दिनांक 25.09.2009 के प्रस्तावना में निर्दिष्ट विधि मान्यता के साथ-साथ लागू होगी।

प्र.4-आ.- 01/2009 (खण्ड -III)
बिहार राज्यपाल के आदेश से
(राधा बिहारी ओझा), सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: प्र. 4-आ. -01 / 2009 (खण्ड-III) 1495 दिनांक 10.3.2010

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
अधिसूचना

जी. एस. आर. 8343 पटना/दिनांक 22.10.2015

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचालन निर्बधन) हटाना आदेश, 2002, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का. आ. संख्या- 2642 (अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2015 एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का. आ. 2857 (अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियिम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा - 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल दाल-दलहन के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते हैं : -

(1) बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 6570 दिनांक 18.12.2009 द्वारा दाल एवं दलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2016 तक लागू रहेगा।

(2) एतद्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ / आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(3) यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

प्र.4-आ.- 01/2009 (खण्ड -III)
बिहार राज्यपाल के आदेश से
(एल. पी. सिंह) सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 8343 दिनांक- 22.10.2015 की कंडिका-I में उल्लेखित शब्द "विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक - 6570 दिनांक- 18.12.2009" के स्थान पर "विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 5670 दिनांक 18.12.2009" तथा अधिसूचना के अन्त में 'बिहार राज्यपाल के आदेश' से उपर उल्लेखित शब्द "(प्र.4 / आ-01(खण्ड-III)" के स्थान पर "(प्र.4 / आ.-01/ 2015)" पढ़ा जाय। इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष यथावत रहेगा।

(प्र. 4-आ.- 01/15)
बिहार राज्यपाल के आदेश से
(एल. पी. सिंह) सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
अधिसूचना

जी. एस. आर. पटना/दिनांक

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रकाशित आदेश 2461 (अ.) दिनांक 25 सितम्बर 2009 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन) हटाना (छठा संशोधन) आदेश 2009 के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात दाल एवं दलहन के लिए 30 सितम्बर 2010 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा गया है। उक्त आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, (1955 का अधिनियम- 10) की धारा - 3 द्वारा प्रदत्त शक्यिों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 9 दिनांक 19 अप्रील 1984 के द्वारा प्रकाशित बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन पत्र एकीकरण) आदेश 1984 के खण्ड- 3 के अन्तर्गत व्यापारिक वस्तुओं के लिए संचयन सीमा के लिए निर्गत अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 49 दिनांक 17 अक्टूबर 1985 में निम्न संशोधन करते हैं, राथा:-

1. राज्य में दाल एवं दलहन का कोई भी व्यापारी (दाल मिल सहित) किसी भी समय स्टॉक में दाल एवं दलहन का कोई स्टॉक प्राप्त होने की तिथि से 30 (तीस) दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रखेगा और किसी भी समय स्टॉक में नीचे उल्लिखित मात्रा से अधिक सभी तरह का दाल एवं दलहन नहीं रखेगा।

(क) नगर निगम क्षेत्र - 750 (सात सौ पचास) क्वींटल।

(ख) अन्य सभी क्षेत्र- 500 (पाँच सौ) क्वींटल।

परन्तु इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गये दाल एवं दहलन के स्टॉक में लागू नहीं होगी:-

(i) सरकारी मद्दे स्टॉक ; या

(ii) राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यापारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से

वितरण के लिए रखा गया स्टॉक; या

(iii) भारतीय खाद्य निगम / राज्य खाद्य निगम द्वारा रखा गया स्टॉक।

2. दाल एवं दलहन के व्यापार की अनुज्ञप्ति के संबंध में बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन पत्र एकीकरण) आदेश 1984 के प्रावधान लागू रहेंगे। उक्त आदेश में थोक विकेताओं के लिए निर्धारित अनुज्ञाप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क एवं द्वितीयक शुल्क उपरोक्त व्यापारियों की अनुज्ञाप्ति के लिए लागू रहेंगे तथा अनुज्ञापन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होंगे।

3. उपर्युक्त निर्धारित संचयन सीमा का अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार के पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

4. दाल एवं दलहन के व्यापारियों को अधिसूचना निर्गत की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर सम्बन्धित जिला पदाधिकारी से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करना होगा।

5. उपर्युक्त आदेश 100 (एक सौ) क्वींटल तक दाल एवं दलहन का व्यापार / भंडारण करने वाले व्यापारी पर लागू नहीं माना जाएगा।

6. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ / आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

7. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

प्र.4-आ.- 01/2009 (खण्ड -II)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राधा बिहारी ओझा) सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : प्र. 4-आ.-01 / 2009 (खण्ड - II) 5670 दिनांक : 18.12.2009

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उपर्युक्त अधिसूचनाएं संख्या GSR 8342 एवं 8343 दिनांक 22.10.15 के सम्बन्ध में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने मुख्य सचिव, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखा है जो सदस्यों की सूचनार्थ उद्धत है:-

पत्रंक :-647 31 अक्टूबर, 2015

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना

प्रधान सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना

प्रिय महोदय,

विषय :-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या GSR 8342 एवं 8343 दिनांक 22.10.15 के सम्बन्ध में

राज्य में उपभोक्ताओं को दाल-दलहन एवं खाद्य तेल उचित मूल्य पर उपलब्ध हो एवं आवांछित तत्वों द्वारा इसकी जमाखोरी न की जाए, इस उद्देश्य से सरकार ने उक्त दोनों अधिसूचनाएं दाल-दलहन एवं खाद्य तेल के व्यवसाय को Regulate करने के लिए जारी किए हैं।

जहाँ तक हमें जानकारी है कि राज्य में खाद्य तेल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं है तथा राज्य के अन्तर्गत बाहर के सभी प्रतिष्ठित उत्पादकों के Ware House हैं जहाँ से वे अपने वितरकों के द्वारा खाद्य तेल की आपूर्त्ति करते हैं। खाद्य तेल के प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए खाद्य तेल की बिक्री भंडारण को Regulate करने से इसके Free Flow को बाधित होने की संभावना हो सकती है।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त वस्तुओं के निर्बाध आवक एवं वितरण में हो रही कठिनाईयों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे जिस पर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है :-

1. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी है, जो कि तर्क संगत नहीं है क्योंकि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया अभी तक निर्धारित नहीं है और अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जाना चाहिए।

2. इस तरह भंडारण सीमा के अन्तर्गत व्यवसायियों को अपने भंडार को लाने के लिए और उसे Regulate करने के लिए भी कम से कम एक माह का समय दिया जाना चाहिए।

3. उपरोक्त आदेशों में भंडारण सीमा केवल दो श्रेणी में रखी गई है जैसे- नगर निगम क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र जबकि यह उचित होता कि इन दोनों श्रेणी में बिना अनुज्ञप्ति के खुदरा व्यवसायी, अनुज्ञप्तिधारित खुदरा व्यवसायी, थोक व्यवसायी, उत्पादनकर्त्ता एवं राज्य के बाहर के उत्पादनकर्त्ता के Ware House के लिए अलग-अलग भंडारण सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जैसा कि कई अन्य प्रदेशों में है।

4. अगर सरकार उचित समझे तो खाद्य तेल की प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए इस पर किसी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता महसुस नहीं होती है और इसके भंडारण, अनुज्ञापन आदेश पर पुनर्विचार करना चाहेंगे।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त आदेश में नगर निगम क्षेत्र में खाद्य तेल की भंडारण सीमा 500 क्विंटल निर्धारित की गई है जबकि कई ऐसे बाहर के उत्पादक जिनका ब्राण्ड राज्य में लोकप्रिय है उनकी मासिक बिक्री 2000 टन से 5000 टन प्रतिमाह की है। अर्थात् 80 टन से 200 टन प्रतिदिन की बिक्री की जाती है। इस तरह के अव्यवहारिक भंडारण सीमा से जहाँ एक ओर राज्य में खाद्य तेल की कमी होने की संभावना है वहीं राजस्व की भी हानि होगी।

अत: आपसे अनुरोध है कि हमारे उपरोक्त सुझावों पर सहानुभुतिपूर्वक विचार कर आप अवश्य सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करना चाहेंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय

ओ० पी० साह

अध्यक्ष

GOVERNMENT SHOULD RELOOK NEW GAS PRICING FORMULA, SAYS FICCI

With natural gas prices being cut by 18 per cent using the new pricing formula, industry body Ficci advocated a mechanism that adequately remunerates country's exploration and production activity and helps ramp up domestic supplies.

"Not only is this imperative for the development of domestic hydrocarbon industry, but is vital towards ensuring Indian energy security. A pricing regime should be reflective of the enormous geological risks and production uncertainties which are inherent in geography such as India" FICCI said.

In a letter to Secretary, Ficci said the current gas formula of pricing gas based on rate prevalent in surplus economies like US and Canada should be relooked. The formula "is unfairly biased towards the pricing in gas surplus economies such as the US, Canada and Russia and is not consistent with realities of the Indian Market," it said.

(Details : Pioneer 10.10.2015)

दीपावली एवं छठ पर्व की
हार्दिक शुभकामनाएँ
शशि मोहन
संपादक

EDITORIAL BOARD

EDITOR

Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph. : 2667296